

xi	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9vii)				
xiii	डीटीए के अनुसार भारत के में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्थ अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ग ध का 6)				
xv	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ग ध का 8 ड)				
xvi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची ग ध का 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि (i - xvii)					

अनुसूची बी.एफ.एल.ए पूर्वतर वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरें

क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	अनुसूची ग म ठ क 5 के अनुसार (चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय यदि कोई है)	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यहास का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत भते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ii)				
ii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iii)	(ख / च गृह संपत्ति हानि)			
iii	कारबार आय (सट्टेबाजी लाभ और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iv)	(ख / च कारबार हानि सट्टेबाजी से भिन्न या विनिर्दिष्ट कारबार हानि)			
iv	सट्टेबाजी से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 v)	(ख / च सामान्य कारबार या सट्टेबाजी से हानि)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vi)	(ख / च या विनिर्दिष्ट कारबार से हानि)			
vi	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची ग म ठ क का 5 vii)	(ख / च अल्पकालिक पूजा हानि)			
vii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख / च अल्पकालिक पूजा हानि)			
viii	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख / च अल्पकालिक पूजा हानि)			
ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख / च अल्पकालिक पूजा हानि)			
x	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xi)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजा हानि)			
xi	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xii)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजा हानि)			

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन

xii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiii)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि)			
xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)				
xiv	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(घुड़ दौड़ों से ख / च हानि)			
Xv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अन्य स्रोतों से कराधेय आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)				
xvi	अग्रणीत मुजरा की गई हानि का योग (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2x + 2xi + 2xii + 2xiv)					
xvii	कुल का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii+ 5xiv + 5xv)					

अनुसूची सी.एफ.एल भावी वर्षों में अग्रणीत की जाने वाली हानियों के ब्यौरे

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	प्रस्तुत करने की तारीख (ता / मास / वर्ष)	गृह संपत्तियों की हानि	अनामेलित अवक्षयण भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि से भिन्न कारबार से हानि			अनामेलित अवक्षयण भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	लघुअवधि पूंजी हानि	दीर्घअवधि पूंजी हानि	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और अनुरक्षण से हानि
				कारोबार हानि अग्रणीत	धारा 115 खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	वर्ष के दौरान उपलब्ध करोबार हानि के लिए मुजरा अग्रणीत					
1	2	3	4	5क	5ख	5ग=5क-5ख	6	7	8	9	10
i	2010-11										
ii	2011-12										
iii	2012-13										
iv	2013-14										
v	2014-15										
vi	2015-16										
vii	2016-17										
viii	2017-18										
ix	2018-19										
x	2019-20										
xi	2020-21										
xii	2021-22										
xiii	2022-23										
xiv	पिछले वर्ष में हानि का कुल										
xv	अनुसूची अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)			(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)	(अनुसूची बीएफएलए का 2v)			(अनुसूची बीएफएलए का 2xiv)

हानियों का अग्रणीत

xv	2023-24 (चालू वर्ष हानियों को अग्रणीत)	(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii)	(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)	(अनुसूची वीपी का ख42, यदि ve)	(अनुसूची वीपी का ग48, यदि ve))	(2x + 3x + 4x+5x) अनुसूची सीजी के मद ड)	(6x+7x + 8x) अनुसूची सीजी के मद ड)	(अनुसूची ओएस का 8ड यदि - वीड़ी)
xvi	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि							

अनुसूची अ.अ धारा 35(4) के अधीन अनुवशोषित क्षयण और भत्ते

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण				धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	धारा 115खकग के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा. लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क-णछ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क.	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	

11 ख	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	
------	--	--

अनुसूची - 10कक

धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती					
	क्र.स	उपक्रम	वह निर्धारण वर्ष जिसमें यूनिट विनिर्माण उत्पादन / सेवा प्रदान करना आरम्भ करती है	क्र.स	कटौती की रकम	
	क	उपक्रम संख्या 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 च के उपाबंध क की मद 17)	
	ख	उपक्रम संख्या 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 च के उपाबंध क की मद 17)	
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौती (क+ ख)				

अनुसूची 80छ

धारा 80 छ के अधीन कटौती के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौती के लिए हकदार दान						
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
					नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
		i						
		ii						
		iii	कुल					
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
					नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
		i						
		ii						
		iii	कुल					
	ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
					नकद में संदान	अन्य रूप में रकम	कुल संदान	
	i							
	ii							
	iii	कुल						

घ	अर्हता सीमा के अधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान	आदाता का पैना	ए.आर.एन (संदान संदर्भ संख्या)	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
	आदाता का नाम और पता						
i							
ii							
iii							

80छक अनुसूची (फर्म के भागीदार के मामले में जो फर्म से केवल लाभ व्युत्पन्न करता है)		वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान के ब्यौरे					
क्र.सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची द. क अनुसंधान संगमों को संदान के ब्यौरे आदि [धारा 35 (1)(ii)या 35 (1) (i)क) या 35 (1) (iii) 35(2कक) के अधीन कटौतियां संदान की पात्र रकम]

आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान की पात्र रकम
		नकद संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
i					
ii					
iii	कुल				

अनुसूची - 80झक धारा 80झक के अधीन कटौतियाँ

क	धारा 80झक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियाँ (विद्युत)	क 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		क 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
ख	धारा 80झक के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 + क2)				ख

अनुसूची-80- झख धारा 80झख के अधीन कटौतियाँ

धारा 80झख के अधीन कटौतियाँ	क	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं कटौतियाँ [धारा 80झख(9)]	क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
			क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
	ख	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं [धारा 80झख(10)]	ख 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
			ख 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
	ग	ऐसे उपक्रमों, जो कि फलों, सब्जियों, मांस, मांस उत्पादों,	ग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)

	पोलट्री, डेयरी उत्पादों, समुद्री खाद्य के प्रसंस्करण संरक्षण एवं पैकेजिंग में संलग्न है की दशा में कटौतियाँ [धारा 80- झख (11क)]	ग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
घ	खाद्यानां, उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती [धारा 80झख(11क)]	घ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		घ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ड	धारा 80झख के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 से घ2 का योग)			ड

अनुसूची-80- झग और 80झड धारा 80झग और 80झड के अधीन कटौतियाँ

धारा 80झख के अधीन क ट आकृतियाँ	क	सिक्किम में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ	क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
			क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
	ख	हिमाचल प्रदेश में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ	ख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
			ख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
	ग	उतरांचल में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ	ग1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
			ग1	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
	घ	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ			
	घक	असम	घक1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
			घक2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
	घख	अरुणचल प्रदेश	घख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
			घख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
	घग	मणिपुर	घग1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
			घग2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
	घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
			घघ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
घड	मेघालय	घड1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		घड2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
घच	नागालैंड	घच1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		घच2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
घछ	त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		घछ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित कुल कटौतियाँ (घ का 1 से घछ 2 का योग)			घज	
ड	धारा 80झग के अधीन कुल कटौतियाँ (क + घ+ ग + घज)			ड	

अनुसूची-6 क अध्याय 6 क के अधीन कटौतियाँ

1	भाग ख- भ ख कतिपय संदायों की बावत कटौती		
क	80ग	ख	80गगग
ग	80गगघ(1)	घ	80गगघ (1ख)
ड	80गगघ(2)	च	80घ
छ	80घघ	ज	80घघख

झ	80ड		ञ	80डड		
ट	80डडक		ठ	80डडख		
ड	80छ		ढ	80छछ		
ण	80छछक		त	80छछग		
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क से त का योग)						1
2	भाग ग - कतिपय आय / अन्य कटौती की बावत कटौती					
	थ	80- झक		(अनुसूची 80 झक का ड)		
	द	80- झकख				
	ध	80- झख		(अनुसूची 80 झख का ड)		
	न	80- झखक				
	प	80झग/ 80झड		(अनुसूची 80 झग/80झड का ड)		
	फ	80जक				
	ब	80जकक		(प्रपत्र 10 घक में अनुलग्नक में क्रम सं. SI(अिव) +5II		
	भ	80 थथख				
	म	80 ददख				
भाग ग के अधीन कुल कटौती (थ से म का योग)						2
3	भाग गक और घ अन्य आय/अन्य कटौती के संदर्भ में कटौती					
	i	80 ननक		ii	80ननख	
	iii	80प				
भाग गक और घ के अधीन कुल कटौती (i, ii और iii का योग)						3
4	अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियाँ (1+2+3 का योग)					4

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

कुल क ट आकृतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 14 के अनुसार कुल आय				1	
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन					
		ड					
		80 झकख					
		क	शीर्ष ई के अधीन " कतिपय आय की बावत कटौतियाँ "अध्याय ख-अ में किसी भी धारा के अधीन कटौती का दावा सम्मिलित है	2क			
		ख	धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा	2ख			
		ग	धारा 35कघ के अधीन आस्तियों पर अवक्षयण की रकम, जिस पर कटौती का दावा किया गया है, के रूप में की गई है	2ग			
		घ	कुल समायोजन (2क + 2ख + 2ग)	2घ			
		3	धारा 115जग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2घ)				3
		3क	धारा 115जग(1) के अधीन आई एफ एस सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो			3क	
	3ख	धारा 115जग(1) के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय			3ख		
	4	धारा 115जग(1) के अधीन देय कर [(9% of (3क)+ 18.5% of (3ख)] (अगर 3 बड़ा हो. 20 लाख रु. से)				4	

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा धारा 115अघ के अधीन कर जमा की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2023-24 (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115अघ के अधीन कर				1		
2	निर्धारण वर्ष 2023-24 (भाग-ख-कुल कर आय का 4) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर				2		
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें				3		
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)						
	क्र.सं	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ) = (ख3)-(ग)
			सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3) 3(ख1)-(ख2)		
	i	2013-14					
	ii	2014-15					
	iii	2015-16					
	iv	2016-17					
	v	2017-18					
	vi	2018-19					
	vii	2019-20					
	viii	2020-21					
	ix	2021-22					
	x	2022-23					
	xi	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)					
	xii	योग					
5	वर्ष के दौरान धारा 115अघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट				5		
6	पश्चात्पूर्ति निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल ट				6		

अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय

विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय (पति/पत्नी, अव्यसक बालक आदि) निधारितियों की धारा 64 के अनुसार आय में शामिल है। (अव्यसक बालक की आय यदि प्रति बालक 1500 रुपये से अधिक है तो शामिल की जाय)

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी लेखा सं./ आधार संख्या	नातेदारी	रकम	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित है
1					
2					
3					

अनुसूची विशेष दर विशेष दरों पर कर पर प्रभार्य आय (कृपया कर की दर के लिए अन्यदेश संख्या 7 देखें)

क्रम सं.	धारा	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
1	111- पूर्व के वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष			(अनुसूची ओ.एस का 2गंiii)	(अनुसूची ओ.एस का 2गंiv)
2	111क या 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर यूनिटों पर एस.टी.सी.जी जिस पर जहा एस.टी.टी पेय संदत है)	☐	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi का भाग)	
3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहा एस.टी.सी.जी संदत नहीं है)	☐	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)	
4	112 परन्तुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
5	112(1)(ग)(iii) (गैरसूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
6	115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
7क	115कग (विदेशी कंसी में क्रम किए गए बंधपत्रो या जी.डी.पी आर से अनिवासी की आय	☐	10	(अनुसूची ण ध के 2घ1x का भाग)	
7ख	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय	☐	10	(अनुसूची ण ध के 2घxxi का भाग)	
8	115कगक (जी.डी.आर पर विनिदिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
9	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
10	115ड (विनिदिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
11	112(अन्य पर एल.टी.सी.जी)	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi का भाग)	
12	112क या धारा115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर या इकाईयां जिन पर एस.टी.टी संदत है के विक्रय पर एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x)	
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एस.टी.सी.जी	☐		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ix का भाग)	
14	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एल.टी.सी.जी	☐		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xii का भाग)	
15	115खख (लाटरी, वर्ग पहली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	10	(अनुसूची ण.ध के 2क का भाग)	
16	115खखड(धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन)	☐	60	(अनुसूची ण.ध के 2ख का भाग)	
17	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)				
	क कारबार या वृत्ति से आय	☐	30	(अनुसूची ख.त का क3ख)	
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय	☐	30	(अनुसूची ग.छ का ग2)	
18	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ख.त का 3ड)	
	ख अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ण.ध का 2घ)	
19	115खखछ(कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कर)				
	क मुख्य कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ख.त का 3घ)	
	ख अन्य मुख्य स्रोतों के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ण.ध का 2घ)	
20	115क(1)(ख) (क) & 115क(1)(ख)(ख) (रोयलि टाळ से अनिवासी की आय)	☐	10	(अनुसूची ण.द के 2घ का भाग)	
21	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय	☐		(अनुसूची ण.ध के 2च का भाग)	
22	धारा 111क या 111क के अलावा 15% की दर से प्रभार्य लघुकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति के रूप में आय से गुजरना	☐	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi का भाग)	
23	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर होगा 30% की दर पर प्रभार्य	☐	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)	
24	दीर्घवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्य	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
25	दीर्घवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्य	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ix का भाग)	
26	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर 20% की दर पर प्रभार्य होगा	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xi का भाग)	
27	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई फाइलिंग उपयोगिता में ड्रॉप डाउन दिया जाना है)	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2ड)	

विशेष दर

1.	(ड्रॉप-डाउन दिया जाए)				i	गृह संपत्ति											
					ii	पूँजी अभिलाभ											
						क	अल्पकालिक अवधि										
						का	धारा 111क										
						काii	अन्य										
						ख	दीर्घकालिक अवधि										
						खा	धारा 112क										
						खाii	धारा 112क के अलावा अन्य										
					iii	अन्य स्रोत											
					क	लाभांश											
					ख	अन्य											
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी											
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन											
					ख	धाराके अधीन											
					ग	धारा.....के अधीन											
2.					i	गृह संपत्ति											
					ii	पूँजी अभिलाभ											
						क	अल्पकालिक अवधि										
						का	धारा 111क										
						काii	अन्य										
						ख	दीर्घकालिक अवधि										
						खा	धारा 112क										
						खाii	धारा 112क के अलावा अन्य										
					iii	अन्य स्रोत											
					क	लाभांश											
					ख	अन्य											
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी											
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन											
					ख	धाराके अधीन											
					ग	धारा.....के अधीन											

टिप्पण ▶

इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

धारा 92गड (2क) के अनुसार		ई-फाईलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार, धारा 92 खड (2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण						
धारा 92गड (2क) के अनुसार	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क)) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है						
	2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा					
		ख	"क" पर 12% की दर से अधिभार					
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर					
		घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)					
3	भुगतान किए गए कर							
4	निवल देय कर (2घ-3)							
5	धारा 92गड (2क) के अनुसार	तारीख 1	तारीख 2	तारीख 3	तारीख 4	तारीख 5	तारीख 6	

2	उस देश की बाबत जहां डीटीए लागू है, उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90 / 90 क) (1 घ) के योग का भाग)	2	
3	उस देश की बाबत जहां डीटीए लागू नहीं है, उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91)((1 घ) के योग का भाग)	3	
4	क्या भारत के बाहर किसी संदत्त कर जिसपर भारत में कर रहा अनुज्ञात की गई है, वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा प्रतिदाय / जमा की गई है ? यदि हां तो नीचे ब्यौरे दें	4	हां / नहीं
	क कर प्रतिदाय की रकम	ख	निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई हैं
टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें ।			

अनुसूची- वि.आ.

भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

आ1	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
आ2	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
आ3	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
आ4	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												

क्र.सं०	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय	
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)							
(ii)							

टिप्पण

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची 5क

पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच में आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी

पति या पत्नी का नाम					
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्यांक / आधार					
क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 44कख के तहत लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के तहत धारा 44 कख के अंतर्गत लेखा-परीक्षण आवश्यक है।					
क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 92अ के तहत लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के तहत धारा 92अ के अंतर्गत लेखा-परीक्षण आवश्यक है।					
आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त प्राप्तियां	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित रकम	(ii) की आय पर कटौती किए गए टाढ डीएस की रकम प	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित टाढ डीएस	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	गृह संपत्ति				
2	कारबार या वृत्ति				
3	पूंजी अभिलाभ				
4	अन्य स्रोत				
5	योग				

अनुसूची कठ

वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (भाग क-खध में अंतर्गत से भिन्न) (उस दशा में जहां कुल आय 50 लाख ₹0 से अधिक है, लागू होती है)

क	स्थावर आस्ति का ब्यौरा	पता	पिन कोड	रकम (लागत) ₹0 में
क्रम सं०	विवरण	पता	पिन कोड	रकम (लागत) ₹0 में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)				

आस्ति और दायित्व के विवरण

(ii)			
ख	जंगम आस्ति का ब्यौरा		
क्रम सं०	विवरण		रकम (लागत) ₹० में
(1)	(2)		(3)
(i)	आभूषण, बुलियन आदि		
(ii)	पुरातात्विक संग्रहण, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति		
(iii)	वाहन, नौका, नाव और वायुयान		
(iv)	वित्तीय आस्ति		रकम (लागत) ₹० में
	(क)	बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमा रशियां)	
	(ख)	शेयर और प्रतिभूतियां	
	(ग)	बीमा पॉलिसी	
	(घ)	ऋण और दिए गया अग्रिम धन	
	(ङ)	हाथ नकदी	
ग	भागीदार या सदस्य के रूप में किसी फर्म या व्यक्तियों का संगम (एओपी) की आस्तियों में धारित ब्याज		
क्रम सं०	फर्म / एओपी का नाम और पता	फर्म / एओपी का स्थायी खाता संख्या	लागत के आधार पर फर्म / एओपी में निर्धारित विनिवेश
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)			
(ii)			
घ	आस्तियों (क+ख+ग) के संबंध में दायित्व		
टिप्पण ▶	इस अनुसूची को भरने के लिए कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें।		

अनुसूची जी.एस.टी जी.एस.टी के लिए रिपोर्टित आवर्त/सकल प्राप्तियों के संबंध में सूचना

जी.एस.टी का ब्यौरा	क्रम. सं.	जी.एस.टी आई एन संख्या	फाईल की गई जी.एस.टी विवरणी के अनुसार बाह्य पूर्ति का वार्षिक मूल्य
	(1)	(2)	(3)
टिप्पण	कृपया प्रत्येक जी.एस.टी.आई.एन सं. के लिए पृथक रूप से उपर सूचना प्रस्तुत करें।		

अनुसूची: ई.एस.ओ.पी पर कर स्थगन

कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-दकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते

विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि पूर्ववर्ती निर्धारण से आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं?			चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि (स्तंभ 3 या 4 से कलन जैसा भी मामला हो)	अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि (स्तंभ 3-7)
				<p>ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए</p> <p>(i) पूर्णतया</p> <p>(ii) आंशिक</p> <p>(iii) नहीं बेचे गए</p> <p>स्तंभ 3 के ऐसे बिक्री का कर गुण का तिथि व राशि का वर्णन करें</p> <p>(उपयोगिता के अनुसार प्रदत्त विवरण)</p>	<p>नियोक्ता के कर्मी होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर को आबंटित या हस्तांतरित किया ?</p> <p>○ हां ○ नहीं</p> <p>यदि हां, तिथि बताएं</p>	<p>उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आबंटित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तिथि बताएं</p>		
	1	2	3	4	5	6	7	8

1	2021-22	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8				
2	2022-23	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8			(निर्धारण वर्ष 2026-27 में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 में देय)	
3	2023-24					

भाग - ख

भाग ख - कुल आय

कुल आय की संगणना

कुल आय	1	वेतन (अनुसूची ध का 6)	1	
	2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची-गृह संपत्ति का 4)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2	
	3	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ		
	i	स ट त ट ओ के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-का.वृ. का क37)	3i	
	ii	स ट त ट ओ के कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (ii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)	3ii	
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (iii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3iii	
	iv	विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय (अनुसूची ख.त. के 3ड, 3च और 3छ)	3iv	
	v	योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (यदि 3v हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)	3v	
	4	पूंजी अभिलाभ		
	क	अल्पकालिक		
	i	अल्पकालिक प्रभार्य @ 15% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 ii)	क i	
	ii	अल्पकालिक प्रभार्य @ 30% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 iii)	क ii	
	iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9v)	क iii	
	iv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9v)	क iv	
	v	अल्पकालिक योग (क i + क ii + क iii+ क iv)	4क v	
ख	दीर्घकालिक			
i	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 10% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 vi)	खा i		
ii	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 vii)	खा ii		

	iii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची ग छ के मद ड का 9 viii)	खiii		
	iv	दीर्घकालिक योग (ख i + ख ii + खiii) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	4खiv		
	ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (4क v + 4खiv) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)		4ग	
	घ	धारा 115खखज के तहत 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)		4घ	
	ङ	कुल पूंजीगत अभिलाभ (4ख + 4घ)		4ङ	
5	अन्य स्रोतों से आय				
	क	अन्य स्रोतों से शुद्ध आय सामान्य लागू दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची ण घ का 6 शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	5 क		
	ख	विशेष दर पर कर को प्रभार्य आय (अनुसूचि ण ध का 2)	5 ख		
	ग	घुडदोड के स्वामिस्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से आय (अनुसूचि ण ध का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 ग		
	घ	कुल (5 क + 5 ख + 5 ग) (यदि हानि है तो शून्य भरे)		5 घ	
6	शीर्ष क्रय के अनुसार आय का कुल (1 + 2 + 3v + 4ङ + 5 घ)				
7	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गमठ क चालू वर्ष की हानि के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)				
8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् बकाया (6 - 7) (अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम संख्या (ii) से (xv)का योग + 5ख + 3iv)				
9	8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रणीत हानियां (अनुसूची खचठ क के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)				
10	सकल कुल आय (8-9) (और अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम संख्या (i) से (xiv) का योग + 5ख + 3iv)				
11	धारा 111क, धारा 112, धारा 112क के अधीन विशेष दर पर कर प्रभार्य में 10 सम्मिलित है				
12	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ				
	क	अनुसूची 6क का भाग ख, ग क और घ [अनुसूची 6क का (1+3) और (बीएफएलए का 5 + ii5 + iii5 + iv5 + v5 + viii5 + xi5 + xii5) तक सीमित]		12क	
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का 2 और बीएफएलए का iii5 तक सीमित]		12ख	
	ग	कुल (12क + 12ख) (10-11) तक सीमित		12ग	
13	धारा 10 क क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची 10 क क का ग)				
14	कुल आय (10 -12ग -13)				
15	आय जो 13 में सम्मिलित है और विशेष दर पर कर प्रभार्य है (अनुसूची विशेष दर के (i) का योग)				
16	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय / कोई अन्य आय (अनुसूची इआई का 3)				
17	कुल आय (14-15+16) (लागू होगा यदि (14-15) अधिकतम रकम, जो कर प्रभार्य नहीं है)				
18	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गचठ की पंक्ति xvi का योग)				
19	धारा 115जग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एएमटी का 3)				

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 115 ज ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित कर का 4)	1क	
		ख	(क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1 ख	
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क + 1ख) 3 पर	1 ग	
		घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर (1क + 1ख + 1 ग)	1 घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर			
	क	भाग ख- टाळ आई कुल आय के 17 पर सामान्य दरों पर कर	2क		
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची द झ का (ii) का योग)	2ख		

	ग	कुषि आय पर रिबे ट (लागू होगा यदि (भाग ख- टाळ आई कुल आय का(14-15) अधिकतम रकम अधिक नहीं है जिस पर प्रभार्य नहीं है)	2ग		
	घ	कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख- 2ग)			2घ
	ड	धारा 87क के अधीन रिबे ट			2ड
	च	रिवेट के पश्चात संदेय कर (2घ - 2 ड)			2च
	छ	अधिभार	उपांतिक राहत से पूर्व परिकलित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार	2छ
	i	अनुसूची धड़ के 17(i) का @25 प्रतिशत	2छ i	क	
	ii	10% या 15% पर लागू (निर्देश संदर्भ)	2छ ii	iiक	
	iii	अनुसूची एस.आई का 2च- 17(ii) उपर्युक्त 2छ(ii) में संदर्भित आय पर कर)	2छ iii		
	iv	कुल (iक + iiक)			2छiv
	ज	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (2 च + 2 छ iv)			2ज
	झ	कुल कर दायित्व (2च + 2छiv + 2झ)			2झ
	3	कुल कर संदेय (1घ और 2ii से उच्चतर)			3
	3क	धारा 17(2)(vi)में संदर्भित 80 आईएसी अनुसूची वेतन में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर			3क
	3ख	धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर			3ख
	4	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115अघ के अधीन जमा (लागू यदि 2ii 1 घ से अधिक है) (अनुसूची क ड न क का 5)			4
	5	धारा 115अघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (3क - 4)			5
	6	कर राहत			
	क	धारा 89 (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए फॉर्म 10ड जमा करना सुनिश्चित करें)	6क		
	ख	धारा 90 या धारा 90क (अनुसूची ल द का 2)	6ख		
	ग	धारा 91 (अनुसूची ल.द का 3)	6ग		
	घ	कुल (6क + 6ख + 6ग)			6घ
	7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6 घ) (शून्य भरे यदि नकारात्मक है)			7
	8	ब्याज और फीस देय			
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क		
	ख	अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख		
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग		
	घ	आय की विवरणी देने में अतिक्रम करने के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ		
	ड	कुल ब्याज और फीस देय (8क +8ख +8ग + 8घ)			8ड
	9	औसत दायित्व (7 + 8ड)			9
	10	संदत्त कर			
	क	अग्रिम कर (17 क के स्तंभ 5 से)	10क		
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (18ख के स्तंभ 5 और 17 ग के स्तंभ 9 का कुल)	10ख		
	ग	टी.सी.एस (17घ का स्तंभ 7)	10ग		
	घ	स्वतः निर्धारण कर (17केस्तंभ 5 से)	10घ		
	ड	संदत्त कुल कर (10क +10ख +10ग)			10ड

11	संदेय रकम (यदि 10इ से अधिक है तो 9 प्रविष्ट करे, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करे)	11			
12	प्रतिदाय (यदि 10इ 9 से अधिक है) (प्रतिदाय यदि कोई है, तो सीधे बैंक खाते में जोड़ दिया जायेगा)	12			
13	क्या भारत में आपका बैंक खाता है (जिसका भारत में बैंक खाता नहीं है नहीं का चयन कर सकते हैं)		हां या नहीं का चयन करें		
i.	क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों के अतिरिक्त)				
बैंक खाता	क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खाते की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, प्राप्त करना चाहते हैं) एक खाता पर निशान लगाएं
	i				
	ii				
नोट:					
1) रिफंड क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए					
2) रिफंड के मामले में, रिफंड क्रेडिट के लिए कई खातों का चयन किया जाता है तो विवरणी के प्रसंस्करण के बाद सीपीसी द्वारा तय किए गए किसी एक खाते में रिफंड का क्रेडिट किया जाएगा					
आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं					
ii.	ख) गैर-निवासी, जो आयकर रिफंड का दावा करते हैं और उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, विकल्प में एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा दे सकते हैं				
	क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आईबीएएन
	1.				
14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय				
	(i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं।				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	(ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या				
	(iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)				

15 यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम	16	

17 अनुसूची-आयकर

क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	टिप्पण	भाग ख - टाळ टाळआई की क्रम सं. 10क और 10घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।			
ख	वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]				
वेतन से स्रोत पर कर	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i				
ii				

टिप्पण ▶ कृपया **भाग ख - टाक टाकआई** के भाग 10ख में स्तम्भ 5 का **योग प्रविष्ट करें** ।

ग													
स्त्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टी.डी.एस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ/16ङ के अनुसार]													
क्रम.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति के संबंध में प्रत्यय टी.डी.एस.(धारा 5 क के अनुसार पति का पत्नी/नियम 35 ख क (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति	अन्य व्यक्ति का पैन/आधार संख्या (यदि टी.डी.एस प्रत्यय अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरारदार या क्रेता का पैन/आधार संख्या	आगे लाया गया अदावकृत टी.डी.एस	मौजूदा वित्त वर्ष का टी.डी.एस (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान टी.डी.एस कटौती)	इस वर्ष जमा टी.डी.एस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।	प्रस्तावित समान रसीद/ आहरण	टी.डी.एस प्रत्यय अग्रणीत किया जा रहा है।					
(1)	(2)	(3)	(4)	वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	आगे लाया गया टी.डी.एस	स्वयं द्वारा कटौती	धारा 5 क के अनुसार पति/पत्नी या नियम 35ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों कटौती (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों दावा	धारा 5 क के अनुसार पति/पत्नी या नियम 35 ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों दावा (यदि लागू हो)	सकल रकम	आय का शीर्ष	वर्ष जिसमें आय/परिग्रह दी गई	(14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							आय	टी.डी.एस	आय	टी.डी.एस	पैन/आधार संख्या		
i													

टिप्पण▶ कृपया स्तंभ 9 का कुल भाग - ख -टी टी आई के 10 ख में प्रविष्ट करें।

घ											
स्त्रोत पर संग्रहित कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)											
टी.सी.एस	क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस [धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति।	संग्राहक का कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्यांक)	अन्य व्यक्ति का पैन(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	अग्रणीत किया गया अदावकृत टी.सी.एस		चालू वित्तीय वर्ष का टी.सी.एस		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया
					वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रहण किया गया	रकम बी/एफ	स्वयं संग्रहित किया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा संग्रहित अथवा नियम 37i(1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो)	स्वयं दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा दावा किया गया अथवा नियम 37i(1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो)	
	(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7i)	(7ii)	(8)
	i									टी.सी.एस	पैन
	ii										

टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टी.टी.आई के 10ग में स्तम्भ (7) का योग प्रविष्ट करें ।

सत्यापन

मैं.....पुत्र / पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता / करती हूँ कि मैं..... (झाप डाउन उपबंधित किया गया है) की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूँ / रही हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी खाता संख्या.....का धारक हूँ (यदि आबंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92घ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हो)

तारीख

स्थान

हस्ताक्षर

आ.क.वि.-4 सुगम	भारतीय आयकर विवरणी [ऐसे व्यष्टिकों, हिन्दू अवियक्त कुटुम्ब और फर्मों (एलएलपी से भिन्न) के लिए जो निवासी हैं और जिनकी कुल आय 50 लाख रु. तक है और जिसकी आयकर गणना धारा 44 कघ, 44कघ या 44कड के अधीन की जाती है] [ऐसे व्यष्टि के लिए नहीं जो कि कंपनी का निदेशक हो या जिसने असूचीबद्ध इक्विटी शेयर्स में निवेश किया हो या जिसके ई.एस.ओ.पी पर आयकर स्थगन हो या जिसकी कृषि आय रु. 5000 से अधिक हो] (पात्रता के लिए अनुदेश)	निर्धारण वर्ष 2023-24
----------------	--	------------------------------

भाग क साधारण जानकारी											
(क 1) प्रथम नाम			(क 2) मध्य नाम			(क 3) अंतिम नाम			(क 4) स्थायी लेखा संख्या		
(क 5) जन्म की तारीख (दिन/माह/तारीख)						(क 6) फ्लैट /द्वार /भवन					
(क 7) परिसर/भवन/ग्राम का नाम						(क 8) मार्ग/गली /डाक-घर			(क 9) क्षेत्र/अवस्थान		
(क 10) नगर/ शहर/ जिला				(क 11) राज्य		(क 12) देश		(क 13) पिन कोड/जिप कोड			
(क 14) आधार नम्बर (12 अंक)/ आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)										(क 15) प्रास्थिति	
										<input type="checkbox"/> व्यष्टि <input type="checkbox"/> हि.अवि.कु. <input type="checkbox"/> फर्म (एलएलपी से भिन्न)	
(क 16) मोबाईल नं० 1 निवास/ कार्यालय का एस.टी.डी. कोड सहित फोन नं०						(क 17) मोबाइल नं० 2			(क 18) ई मेल पता - 1 (स्वयं)		
										ई मेल पता - 2	
(क 19) रोजगार की प्रकृति - <input type="checkbox"/> केंद्र सरकार <input type="checkbox"/> राज्य सरकार. <input type="checkbox"/> सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी -सी जी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी -एस जी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी -पी.एस.यू. <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी - अन्य <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> लागू नहीं (उदाहरणार्थ पारिवारिक पेंशन आदि)											
(क 20)(क) धारा ... के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए]						<input type="checkbox"/> 139(1)-नियत तारीख से पूर्व, <input type="checkbox"/> 139(4) नियत तारीख के पश्चात्, <input type="checkbox"/> 139(5)-पुनरीक्षित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119 (2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्					
(ख) या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई						<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142 (1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153ग					
(क 21) यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख/मास/वर्ष)											
(क 22) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 19(2)(ख) के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।										/ /	

(क 23)	
क) क्या आपने 115खकग के तहत पूर्ववर्ती वर्षों में नई कर प्रणाली का विकल्प चुना है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां का चयन किया गया है तो कृपया नि.व. जिसमें उक्त विकल्प प्रयोग किया गया तथा प्रपत्र 10-आई.ई की पावती संख्या दाखिल की तारीख सहित प्रस्तुत करें)	
ख. क्या आपने 115खकग के बाहर पूर्ववर्ती वर्षों में विकल्प चुना है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां का चयन किया गया है तो कृपया नि.व. जिसमें प्रपत्र 10- आई.ई की पावती संख्या दाखिल की तारीख सहित प्रस्तुत करें)	
ग. चालू निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प <input type="checkbox"/> अब चुना जा रहा है <input type="checkbox"/> चुना नहीं जा रहा <input type="checkbox"/> विकल्प जारी रखना <input type="checkbox"/> विकल्प से बाहर निकलना <input type="checkbox"/> विकल्प के लिए योग्य नहीं ("चुना जा रहा" तभी चयन करें जब आप पहली बार विकल्प चुन रहे हों)	
चुना नहीं जा रहा, तथा विकल्प जारी रखना, तथा विकल्प के योग्य नहीं के, अलावा कृपया प्रपत्र 10आई.ई दाखिल करने की तिथि तथा पावती संख्या प्रस्तुत करें।	
(क 24) क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं परंतु अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है? फर्म के मामले में लागू नहीं) - (✓) हां नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: यह तभी भरा जाना है यदि एक व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर कर रहा]	
(i) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)
(ii) क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है?	(यदि हां है तो) रकम (रु)
(iii) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)
क्या आप धारा 139(1) के सातवें परंतुक के तहत निर्धारित शर्तों के तहत आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं किंतु आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अन्यथा आवश्यकता नहीं है? (हां/ नहीं) (यदि हां, तो दी गई तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)	(चिह्न) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(क 25) क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की जा रही है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दे -	
(1) प्रतिनिधि का नाम	
(2) प्रतिनिधि की हैसियत	
(3) प्रतिनिधि का पता	
(4) प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या/ आधार	

भाग ख - सकल कुल आय		केवल संपूर्ण (₹) में	
ख1	व्यवसाय और वृत्ति से आय (टिप्पण-अनुसूची बी पी की ड 8 से मूल्य प्रविष्ट करें)	ख1	
ख2	i सकल वेतन (iक + iख + iग+1घ +1ङ)	i	
वेतन/पेंशन	क धारा 17(1) के अनुसार वेतन	iक	
	ख धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	iख	
	ग धारा 17(3) के अनुसार	iग	
	घ धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iघ	
	ङ धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iङ	
	ii धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) [यह सुनिश्चित करें कि इसे धारा 17(1)/17(2)/17(3) के अंतर्गत वेतन आय में शामिल किया गया है]	ii	
	iiक धारा 89क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा	iiक	
	iii शुद्ध वेतन (i -ii- iiक)	iii	
	iv धारा 16 के अधीन कटौतियां (ivक + ivख + ivग)	iv	
	क धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौतियां	ivक	
ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख		
ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	ivग		
v 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (iii - iv) (टिप्पण: अनुसूची टी.डी.एस-1, यदि लागू हो)	ख 2		
ख3	लागू विकल्प पर निशान लगाएं स्व: अधिभोग में <input type="checkbox"/> किराए पर <input type="checkbox"/> किराए पर समझी गई <input type="checkbox"/>		
दूसरे संपत्ति	i वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्त करने योग्य/किराए योग्य सकल किराया मूल्य	i	
	ii स्थानीय प्राधिकारी को संदत्त कर	ii	

	iii	वार्षिक मूल्य (i - ii)	iii		
	iv	वार्षिक मूल्य का 30%	iv		
	v	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	v		
	vi	वर्ष के दौरान 30% से न्यून प्राप्त बकाया किराया	vi		
	vii	गृह संपत्ति शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय (vi- ix + x) (यदि हानि हो तो नकारात्मक अंकों में बताएं) नोट: आवासीय संपत्ति से अधिकतम क्षति जिसे समायोजित किया जा सकता है 2,00,000 भारतीय रूपए है। क्षति को आगे ले जानेतथ समायोजित करने के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु कृपया आईटीआर 3/5 का प्रयोग करें।		ख 3	
ख4		अन्य स्रोतों से आय (झापडाउन जैसे बचत खाते ,जमा आदि से ब्याज ई-फाइलिंग उपयोगिता में विहित आय की प्रकृति और लाभांश आय और धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृति लाभ खाते से आय के मामले में धारा 234ग से अनुप्रयोज्य राहत के लिए अनुमेय तिमाही विवरण प्रस्तुत करें।)-- टिप्पण- "अनुसूची टी.डी.एस 2" को भरना सुनिश्चित करें, यदि लागू हो			
		कम करें : धारा 57(1)(क)के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन की दशा में);			
		कम करें: धारा 89क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा		ख4	
ख 5		सकल कुल आय (ख1+ ख 2+ ख 3 + ख4)		ख 5	
		क्षति को आगे ले जाने तथा समायोजन हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया आईटीआर 3/5 का प्रयोग करें			

भाग ग - कटौतियां और कराधेय कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती सीमा के लिए निर्देशों का पालन करें)

ग 1	80 ग		ग 2	80 गगग		ग 3	80 गगघ(1)		
ग 4	80गगघ(1ख)		ग 5	80गगघ (2)		ग 6	80 घ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	
ग 7	80घघ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	ग 8	80 घघख	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	ग 9	80ङ		
ग 10	80ङङ		ग 11	80ङङक		ग 12	80ङङख		
ग 13	80छ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	ग 14	80छछ		ग 15	80छछग	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले झापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	
ग 16	80ननक		ग 17	80ननख		ग 18	80प		
ग 19	कुल कटौतियां (मद ग1 से ग18 को जोड़ें)							ग 19	
ग 20	कराधेय कुल आय (ख5 - ग19)							ग 20	

भाग घ - कर संगणना और कर प्रारस्थिति

घ 1	कुल आय पर संदेय कर (ग 20)	घ 1	
घ 2	धारा 87क के अधीन छूट	घ 2	
घ 3	कुल कर और उपकर (घ1 - घ 2)	घ 3	
घ 4	स्वास्थ्य और शिक्षा (घ3) पर उपकर @ 4%	घ 4	
घ 5	कुल कर और उपकर (घ3 + घ4)	घ 5	
घ 6	धारा 89 के अधीन राहत (इस छूट का दावा करने हेतु कृपया फार्म 10ड प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।)	घ 6	
घ 7	राहत के बाद अतिशेन (घ 5 - घ 6)	घ 7	
घ 8	धारा 234क के अधीन कुल ब्याज	घ 8	
घ 9	धारा 234ख के अधीन कुल ब्याज	घ 9	
घ 10	धारा 234ग के अधीन कुल ब्याज	घ 10	
घ 11	धारा 234घ के अधीन शुल्क	घ 11	
घ 12	कुल कर, शुल्क और ब्याज (घ7 + घ8 + घ9 + घ10 + घ11)	घ 12	
घ 13	संदत्त कुल अग्रिम कर	घ 13	
घ 14	संदत्त कुल स्वतः निर्धारित कर संदेय	घ 14	

घ 15	कर स्रोत पर कुल कटौती का दावा (अनुसूची टीडीएसआई का स्तंभ 4 और अनुसूची टीडीएस2 का स्तंभ 6 का कुल योग)	घ 15	
घ 16	स्रोत पर कुल संगृहित कर (अनुसूची टीसीएस का स्तंभ 5 का कुल योग)	घ 16	
घ 17	कुल पूर्व संदत्त कर (घ13 + घ14 + घ15 + घ16)	घ 17	
घ 18	कुल संदेय (घ12 - घ17, यदि घ12 > घ17)	घ 18	
घ 19	प्रतिदाय (घ17-घ12, यदि घ17 > घ12)	घ 19	
घ 20	केवल रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय (यदि कृषि गत आय 5,000 रु. से ज्यादा हो -, आई.टी.आर 3/5 का उपयोग करें) (छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत धारा और खंड का उल्लेख करते हुए, ई-फाइलिंग उपयोगिता में झापडाउन का उपबंध करें)	घ 20	

बैंक खातों	घ 21	पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण				
		क्र.सं.	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	प्रतिदाय क्रेडिट के लिए खाते का चयन
		i				
		ii				
<p>1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाता अकाउंट का चयन किया जाना चाहिए।</p> <p>2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए बहुबिध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है, तब प्रतिदाय विवरणी के संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाता है।</p>						

अनुसूची बी.पी. - कारबार या वृत्ति से आय के ब्यौरे			
धारा 44कघ के अधीन उपधारणात्मक कारबार आय की संगणना			
क्र.सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन
(i)			
ड 1	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियां		
	क	यद्यपि विनिर्दिष्ट तिथि से पूर्व आदाता बैंक अथवा अदाता बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक इलेक्ट्रॉनिक किल्यरिंग सिस्टम प्राप्त किया गया अथवा निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड प्राप्त किया गया	ड 1क
	ख	कोई अन्य प्रणाली	ड 1ख
ड 2	44कघ के अधीन उपधारणात्मक आय		
	क	ड 1क का 6% या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो	ड 2क
	ख	ड 1ख का 8% या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो	ड 2ख
	ग	कुल (क + ख)	ड 2ग
नोट- यदि आय सकल प्राप्तियों के उपरोक्त प्रतिशत से कम है तो यह अनिवार्य है धारा 44कघ के अंतर्गत कर लेखा परीक्षा कराई जाए और दूसरी आईटीआर यथा लागू की जानी है।			
धारा 44कघ के अधीन वृत्तियों उपधारणात्मक आय की गणना			
क्र.सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन
(i)			
ड 3	सकल प्राप्तियां		ड 3
ड 4	धारा 44कघ के अधीन उपधारणात्मक आय (ड3 का 50%) या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम जो भी उच्चतर हो टिप्पण— यदि आय सकल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से कम है तो यह अनिवार्य है कि धारा 44कघ के अंतर्गत कर लेखा परीक्षा कराई जाए तथा दूसरी आईटीआर यथा लागू दायर की जाती है		ड 4
धारा 44कघ के अधीन माल वाहनों उपधारणात्मक आय की संगणना			
क्र.सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन
(i)			

माल वाहन का रजिस्ट्रीकरण सं०	क्या स्वामित्व/पट्टे	माल वाहन का सकल वाहन भार (मी० ट० में)	माह की संख्या जिसके लिए निर्धारिती ने माल वाहक का	माल वाहन के लिए प्रति मास उपधारणात्मक आय (12 मी० ट० से अधिक सकल वाहन भार वाले माल वाहन की
------------------------------	----------------------	---------------------------------------	---	---

	पर/ या किराए पर है?		स्वामित्व /किराए पर या पट्टे पर है ?	दशा में 1000 रुपए प्रति टन प्रति मास की दर से, या 7500 रु प्रति माह की दर से
(i)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)				
(ख)				

आवश्यक होने पर पंक्तियां जोड़ें (वर्ष के दौरान किसी भी समय, वाहनों की संख्यां 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)

ड 5	धारा 44कड के अधीन माल वाहनों से उपधारणात्मक आय [स्तंभ (5) का योग] टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अंतर्गत निर्धारित से कम हैं अथवा किसी समय स्वामित्व वाले वाहनों की संख्या 10 से अधिक है, तब दूसरी आईटीआर यथा दायर की जानी है।	ड 5	
ड 6	भागीदार को संदत्त वेतन और ब्याज टिप्पण- यह केवल फर्मों द्वारा भरा जाएगा	ड 6	
ड 7	धारा 44 कड (ड5 - ड6) के उपधारणात्मक आय	ड 7	
ड 8	बिजनेस अथवा व्यवसाय शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय (ड 2ग + ड 4+ ड 8)	ड 8	

माल और सेवाकर के लिए रिपोर्टित आवर्त/सकल प्राप्तियों के संदर्भ में सूचना
टिप्पण- प्रत्येक जी.एस.टी.आइ.एन संख्या के लिए पृथक् रूप से नीचे सूचना दें-

ड 9	जी.एस.टी.आइ.एन सं. (संख्याएं)	ड 9	
ड 10	फाईल की गई जी.एस.टी विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों की वार्षिक मूल्य	ड 10	

कारबार की वित्तीय विशिष्टियां
टिप्पण-ड 11 से ड 25 के लिए, 31 मार्च, 2022 को यथाविद्यमान जानकारी दें (यदि लागू हों)

ड 11	पूजी स्वामित्व वाले सहभागी/सदस्य	ड 11	
ड 12	निश्चित ऋण	ड 12	
ड 13	अनिश्चित ऋण	ड 13	
ड 14	अग्रिम	ड 14	
ड 15	नानाविध ऋणदाता	ड 15	
ड 16	अन्य देनदारियां	ड 16	
ड 17	कुल पूजी एवं देनदारियां (ड 11 + ड 12 + ड 13 + ड 14 + ड 15 + ड 16)	ड 17	
ड 18	अचल परिसंपत्तियां	ड 18	
ड 19	संपत्ति सूची (इन्वेंटरी)	ड 19	
ड 20	नानाविध कर्जदार	ड 20	
ड 21	बैंकों के साथ शेष	ड 21	
ड 22	नकद	ड 22	
ड 23	ऋण तथा अग्रिम	ड 23	
ड 24	अन्य परिसंपत्तियां	ड 24	
ड 25	कुल परिसंपत्तियां (ड 18 + ड 19 + ड 20 + ड 21 + ड 22 + ड 23 + ड 24)	ड 25	
नोट	इस अनुसूची को दायर करने के लिए कृपया अनुदेश का संदर्भ लें (ड 15, ड 19, ड 20, ड 22 अनिवार्य हैं और अन्य यदि उपलब्ध हैं)		

अनुसूची-आयकर - आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदायों के ब्यौरे

	वीएसआर कोड (स्तंभ 1)	निकषे की तारीख (स्तंभ 2)	चालान सं. (स्तंभ 3)	संदत्त कर (स्तंभ 4)
आर 1				
आर 2				
आर 3				
टिप्पण	घ13 और घ14 में अग्रिम कर और स्व निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें ।			

अनुसूची टीसीएस स्रोत पर संग्रहित कर का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]

क्रम. सं०.	संग्रहणकर्ता का कर संग्रह खाता संख्या	संग्रहणकर्ता का नाम	फार्म 26 ए एस में वर्णित देय रकम के ब्यौरे	संग्रहित कर	दावाकृत कुल (4) में रकम
------------	---------------------------------------	---------------------	--	-------------	-------------------------

(1)	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)
i					
ii					
	टिप्पण ▶ कृपया घ16 में अनुसूची-टीसीएस के कुल स्तंभ (5) की प्रविष्टि करें				

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 - वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]

	कर कटौती खाता संख्यांक (टैन) स्तंभ (1)	नियोजक का नाम स्तंभ (2)	वेतन के अधीन आय स्तंभ (3)	कटौती किया गया कर स्तंभ (4)
एस 1				
एस 2				
एस 3				
टिप्पण-- कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (4) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (6) का योग घ15 में प्रविष्टि करें ।				

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 - वेतन से भिन्न आय के स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16क या प्रस्तुत प्ररूप 16ग और प्ररूप 16घ के अनुसार]

क्र.सं.	कटौतीकर्ता का टैन/किराएदार का पैना/आधार सं.	अशेषित अदावाकृत स्रोत पर कर कटौती		चाहू वित्तीय वर्ष की स्रोत पर कर कटौती	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर के लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया)	प्रस्तुत तदनुरूपी रिसिट/आहरण		अशेषित स्रोत पर कर कटौती
		कटौती का वित्तीय वर्ष	अशेषित स्रोत पर कर कटौती			कुल रकम	आय का सीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i								
ii								
		टिप्पण ▶ कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (4) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (6) का योग घ15 में प्रविष्टि करें ।						

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण है और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है ।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूँ/रही हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ । मैं स्थायी खाता संख्या.....का/की धारक हूँ (यदि आर्बिट्रिट किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

स्थान तारीख यहाँ हस्ताक्षर करें

केवल शासकीय कार्य के लिए

यस्य प्राप्ति नो की स्टैप लगाए प्राप्तिकर्ता पदधारी की मुहर, तारीख और नाम

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता (टी.आर.पी.) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं. (10 अंकीय)	कर विवरणी तैयारकर्ता को संदत की जाने वाली राशि	कर विवरणी तैयारकर्ता के हस्ताक्षर

(i) व्यष्टि (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी और (iv) प्ररूप आई टीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति]
(कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें)
(कृपया अनुदेश देखें)

2	0	2	3	-	2	4
---	---	---	---	---	---	---

भाग क-साधारण

साधारण

व्यक्तिगत जानकारी	(क1)नाम		(क2) स्थायी लेखा संख्यांक			
	(क3)क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें		(क4) एमसीए द्वारा जारी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) यदि लागू हो तो,			
	(क7)फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं०	(क8)परिसर/भवन/ग्राम का नाम	(क5)विरचना की तारीख (दि.मा.व)			
			(क6)कारबार प्रारंभ होने की तारीख (दि.मा.व)			
	(क9)सड़क/गली/डाकघर	(क10) क्षेत्र/अवस्थान	प्रारस्थिति (फर्म-1 उप प्रास्थिति-भागीदारी फर्म, एलएलपी, स्थानीय प्राधिकारी-2, एओपी/बीओआई-3 उप प्रास्थिति-अन्य सहकारी बैंक, अन्य सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860यथा उस राज्य की तत्स्थानी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी/सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, कारबार न्यास, विनिधान निधि, आयकर विवरणी 7 में विवरणी फाईल करने के पात्र न्यास से भिन्न न्यास, अन्य कोई एओपी/बीओआई, कृत्रिम विधिक व्यक्ति-4, उप-प्रास्थिति-मृतक की संपदा, दिवालिया की संपदा, अन्य एजेपी),		<input type="checkbox"/>	
	(क11)नगर/शहर/जिला	(क12)राज्य	(क13)पिनकोड/ जिप कोड			
		(क14)देश				
	(क15)निवास/कार्यालय का फोन नं० एसटीडी कोड सहित मोबाइल सं० 1		(क16)मोबाइल सं० 2			
	(क17)ई-मेल पता-1		(क18)ई-मेल पता-2			
	फाईल करने की प्रास्थिति	(क19 का)	धारा के अधीन फाईल (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख) के अधीन विलंब के लिए माफी के पश्चात्।		
		(का) या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाईल की गई	139(9),	142(1),	148,	153(ग)
		(का) क्या आप एक कारबार न्यास हैं?	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं		
		(का) क्या आप धारा 115पख में निर्दिष्ट एक विनिधान निधि हैं?	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं		
(ख)		यदि पुनरीक्षित/ दोषपूर्ण/उपांतरित करने के लिए सूचना के उत्तर में है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं० और फाईल करने की तारीख प्रवि-ट करें (दिन/मास/व-र)				
(ग)	यदि धारा 139(9) / 142(1) / 148/ 153(ग) के अंतर्गत नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर में फाईल की गयी है, तो यूनिक नंबर/ दस्तावेज पहचान संख्या(डी.आई.एन)और ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत फाईल की गई है तो अग्रिम मूल्यन करार की तारीख भरें	(यूनिक नंबर)		/ /		
(घ i)	क) क्या आपने 115खकग के तहत पूर्ववर्ती वर्षों में नई कर प्रणाली का विकल्प चुना है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां का चयन किया गया है तो कृपया नि.व. जिसमें उक्त विकल्प प्रयोग किया गया तथा प्रपत्र 10-आई.एफ की पावती संख्या दाखिल की तारीख सहित प्रस्तुत करें)					
(घ ii)	यदि "नहीं", तो चालू निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प नहीं चुना गया चुना जा रहा. यदि "चुना जा रहा" विकल्प चुना, कृपया पुस्तुत करें	प्रपत्र 10 झच दि/मा/व		पावती क्रमांक:		

(ड.)	निवास संबंधी प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी
(च)	क्या निर्धारिती की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(छ)	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्राप्त हैं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(ज)	यदि हां तो, कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता संख्या उल्लिखित करें
(झ)	क्या अंतर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(ञ)	यदि हां तो, कृपया प्रमाणन संख्या उल्लिखित करें
(ट)	(i) अनिवासी की दशा में, यदि भारत में कोई स्थायी स्थापन है (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित है? (चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(ठ)	यदि हां, कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(ख) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या
(ड)	क्या आप एफआईआई/एफपीआई? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रेशन का संख्यांक उपबंधित करें।
(ढ)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें--
	(1) प्रतिनिधि का नाम
	(2) प्रतिनिधि की हैसियत (डाप डाउन उल्लिखित करें)
	(3) प्रतिनिधि का पता
	(4) प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या
(ण)	क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें
	फर्म का नाम
	स्थायी लेखा संख्यांक
(त)	क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किया है? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो, साधारण अंश के संबंध में कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें
	कंपनी का नाम
	कंपनी का प्रकार
	स्थायी लेखा संख्यांक
	आरंभिक अतिशेष
	वर्ष के दौरान अर्जित अंश
	वर्ष के दौरान अंतरित अंश
	अंत अतिशेष
	अंशों की संख्या
	अर्जन की लागत
	अंशों की संख्या
	अभिदान / क्रय की तारीख
	प्रति अंश अंकित मूल्य
	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)
	प्रति अंश क्रय मूल्य (विद्यमान अंश धारक से क्रय की दशा में)
	अंशों की संख्या
	विक्रय प्रतिफल
	अंशों की संख्या
	अर्जन की लागत
	1 क
	1 ख
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
क	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
क 2	क्या निर्धारिती केवल 44कघ/ 44कघक/ 44कड / 44ख / 44खख / 44खखक के तहत आय की घोषणा कर रहा है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
क 2i	यदि नहीं, वर्ष के दौरान क्या व्यवसाय की कुल विक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियां रु. 1 करोड़ या 10 करोड़ के मध्य है? (चिन्ह) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक नहीं <input type="checkbox"/> टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक
क 2ii	क 2i पर यदि हां का चयन किया गया है, क्या समस्त प्राप्त राशि का कुल योग जिसमें विक्री टर्नओवर अथवा सकल प्राप्तियां अथवा पूंजीगत खाते जैसे कि पूंजीगत योगदान, ऋण इत्यादि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान राशि शामिल है, नकद में तथा गैर खाता पेयी चेक/ डी डी उक्त राशि से पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (चिन्ह) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
क 2iii	क 2i पर यदि हां का चयन किया गया है क्या भुगतान का कुल योग व्यय के लिए सम्मिलित राशि अथवा पूंजीगत खाता जैसे कि परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋण का भुगतान इत्यादि एवं गैर खाता पेयी चेक/ डी डी पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान नकद में उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (चिन्ह) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
ख	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वतः ही होना चाहिए)
ग	यदि (ख) हां है तो क्या लेखों की संपरीक्षा लेख (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (कारक द्वारा की गई है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं,
	(i) संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) / /
	(ii) कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम

	(iii)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या									
	(iv)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)									
	(v)	संपत्तिक/ फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या									
	(vi)	संपत्तिक/फर्म लेखा परीक्षक का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं0)/ आधार संख्या									
	(vii)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख									
(घ)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं										
(घii)	यदि घड़ हां है, क्या धारा 92 अ के तहत खातों का लेखा परीक्षण किया गया				हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>				लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख ? दि/मा/व		
(घiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें, (कृपया अनुदेश देखें)										
	क्रम संख्यांक.			सेक्शन कोड				तारीख (दिन/मास/वर्ष)			
(ङ)	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?										
	अधिनियम और धारा			(दिन/मास/मास)			अधिनियम और धारा			(दिन/मास/मास)	
अ.	क्या पूर्ववर्त के दौरान फर्म/एओपी/बीओआई के भागीदारों/ सदस्यों में कोई परिवर्तन हुआ है (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (संस्था तथा सहकारी बैंकों में प्रबंधन समिति का विवरण) यदि हां तो प्रविष्ट/ सेवानिवृत्त भागीदारों का विवरण प्रदान करें।										
	क्र.सं.	भागीदार/सदस्य का नाम			प्रवेश/निवृत्ति	स्थायी लेखा संख्या	प्रवेश/निवृत्ति की तारीख	पारिश्रमिक भुगतान/ देय सेवानिवृत्ति भागीदार के मामले में (फर्म के मामले में)		अंश का प्रतिशत (यदि अवधार्य हो)	
	1.										
	2.										
आ	क्या एओपी/बीओआई /एजेपी का निष्पादक विदेशी कंपनी है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>										
इ	यदि हां तो एओपी/बीओआई /एजेपी के निष्पादक में विदेशी कंपनी के शेयर की प्रतिशतता का उल्लेख करें (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>										
इ.	क्या एओपी/बीओआई/एजीपी के निष्पादक के किसी सदस्य की कुल आय (ऐसी संगम या निकाय /एजेपी के निष्पादक से उसके शेयरों को छोड़कर) उस अधिकतम रकम से अधिक है जो उस सदस्य के मामले में कर से प्रभाय नहीं है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>										
उ.	व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2023 या विघटन की तारीख को फर्म/एओपी/बीओआई में भागीदार /सदस्य या न्यास में व्यवस्थापक /न्यासी /फायदाग्राही या मृतक की संपदा या दिवालिया की संपदा की दशा में निष्पादक था										
	क्र.सं.	नाम और पता	शेयर का प्रतिशत (यदि अवधारित किया जाए)	स्थायी लेखा संख्या	आधार संख्या/नामांकन पहचान (यदि आधार हेतु पात्र है)	एलएलपी में भागिदार की दशा में, अभिहित भागिदार पहचान संख्या	प्रास्थिति (कृपया निदेश देखें)	पूंजी पर ब्याज की दर	संदर्भ संदेय पारिश्रमिक		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
(iv) में निर्दिष्ट	च	धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में भरा जाना है									
	1	क्या हिताधिकारी के शेयर अवधारित या ज्ञात हैं ?								<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	

	2	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कारबार आय है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
	3	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वसीयत द्वारा घोषित है /या अनन्य रूप से व्यवस्थापक के किसी आश्रित रिश्तेदार के फायदे के लिए और /या व्यवस्थापक द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
	4	कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (यथा लागू):	
	(i)	क्या सभी हिताधिकारियों की आय आधारभूत छूट सीमा के नीचे है?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
	(ii)	क्या सुसंगत आय या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत द्वारा घोषित किसी न्यास के अधीन प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा न्यास उसके द्वारा इस प्रकार घोषित एकमात्र न्यास है?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
(iii)	क्या न्यास व्यवस्थापक के रिश्तेदारों/एच यू एफ के सदस्य, प्रमुखतः उस पर/परिवार पर निर्भर, के अनन्य लाभ के लिए 01-03-1970 से पूर्व सृजित अवसीयती न्यास है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
(iv)	क्या न्यास किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या ऐसे कारबार या वृत्ति में अनन्य रूप से कर्मचारियों के लिए कारबार या वृत्ति का संचालन कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक रूप से सृजित किसी अन्य निधि की ओर से सृजित किया गया है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
कारबार का स्वरूप	छ	कारबार या वृत्ति का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति है तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं (धारा 44कघ, धारा 44कघक और धारा 44कड. के अधीन आय घोषित करने वालों से भिन्न)	
	क्र.सं.	कोड (कृपया अनुदेश देखें)	कारबार का व्यापारिक नाम, यदि कोई हो
	(i)		वर्णन
	(ii)		

भाग क-बीएस

31 मार्च, 2023 या विघटन की तारीख को तुलन-पत्र (यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं तो मद क से ख भरें अन्यथा ग भरें)

निधियों के स्रोत	अ	निधियों के स्रोत		
	1	भागीदार/सदस्यता निधि		
	क	भागीदार/सदस्यता पूंजी		क
	ख	आरक्षितियां और अधिशेष		
	i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खां	
	ii	पूंजी आरक्षिति	खांii	
	iii	कानूनी आरक्षिति	खांiii	
	iv	कोई अन्य आरक्षिति	खांiv	
	v	लाभ और हानि लेखा का जमा शेष	खv	
	vi	योग (खां+खांii+खांiii+खांiv+खv)	खvi	
	ग	कुल भागीदारी सदस्य निधि (क +खvi)	1ग	
	2	ऋण निधि		
	क	प्रतिभूत ऋण		
	i	विदेशी करेंसी में ऋण	कां	
	ii	रुपए में ऋण		
अ	बैंकों से	iiअ		
आ	अन्य से	iiआ		
इ	योग (iiiअ+iiiआ)	iiइ		
iii	कुल प्रतिभूत ऋण (कां+ii इ)	कांiii		
ख	अप्रतिभूत ऋण (निक्षेप सहित)			
क	विदेशी मुद्रा ऋण	कां		
क	रुपया ऋण			
अ	बैंकों से ऋण	iiअ		
आ	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	iiआ		

		ii			
	ई	कुल रुपया ऋण (ii+i+ii+ii+ii इ)	iiई		
	iii	कुल अप्रतिभूत ऋण (ख i + ii घ)			खiii
	ग	कुल ऋण निधि (कांiii + खiii)			2ग
3		आस्थगित कर दायित्व			3
4		अग्रिम			
i		आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	i		
ii		अन्य से	ii		
iii		कुल अग्रिम (i+ii)			4iii
5		निधि के स्रोत (1ग+2ग+3+4iii)			5
आ		निधियों का उपयोग			
1		नियत आस्तियां			
	क	सकल ब्लॉक	1क		
	ख	अवक्षयण	1ख		
	ग	शुद्ध ब्लॉक (क-ख)	1ग		
	घ	प्रगतिगत कार्य पूंजी	1घ		
	ङ	शेष (1ग+1घ)			1 ङ
2		विनिधान			
	क	दीर्घकालिक विनिधान			
	i	संपत्ति में विनिधान	i		
	ii	साम्या लिखत			
	अ	सूचीबद्ध साम्या	iiअ		
	आ	असूचीबद्ध साम्या	iiआ		
	इ	योग	iiइ		
	iii	अधिमानी शेयर	iii		
	iv	सरकारी या न्यास संपत्तियां	iv		
	v	डिबेंचर या बंधपत्र	v		
	vi	पारस्परिक निधियां	vi		
	vii	अन्य	vii		
	viii	कुल दीर्घकालिक विनिधान (i+ii इ+iii+iv+v+vi+vii)			कviii
	ख	अल्पकालिक विनिधान			
	i	साम्या लिखत			
	अ	सूचीबद्ध साम्या	iअ		
	आ	असूचीबद्ध साम्या	iआ		
	इ	योग	iइ		
	ii	अधिमानी शेयर	ii		
	iii	सरकारी या न्यास संपत्तियां	iii		
	iv	डिबेंचर या बंधपत्र	iv		
	v	पारस्परिक निधियां	v		
	vi	अन्य	vi		
	vii	कुल दीर्घकालिक विनिधान (iइ+ii +iii+iv+v+vi)			खvii
	ग	कुल विनिधान (कviii+खvii)			2ग
3		चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम			
	क	चालू आस्तियां			
	i	सूचियां			
	अ	कच्चा माल	iअ		
	आ	प्रगतिगत स्टक	iआ		

	इ	तैयार माल	इ		
	ई	व्यापारगत स्टाक (व्यापार के लिए अर्जित माल के संबंध में)	ई		
	उ	भंडार/पैकिंग सामग्री सहित उपभोग योग्य	उ		
	ऊ	खुले औजार	ऊ		
	ए	अन्य	ए		
	ऐ	योग (iअ+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ+iए)			ऐ
	ii	विविध देनदार			
	अ	एक से वर्ग से अधिक के लिए बकाया	iiअ		
	आ	अन्य	iiआ		
	इ	कुल विविध लेनदार			iiइ
	iii	नकदी और बैंक अतिशे-1			
	अ	बैंक में अतिशे-1	iiiअ		
	आ	हाथ में नकदी	iiiआ		
	इ	अन्य	iiiइ		
	ई	कुल नकद और नकद समतुल्य (iii अ+iii आ + iiiइ)			iiiई
	iv	अन्य चालू आस्तियां			कiv
	v	कुल चालू आस्तियां (iiऐ+iiइ+iiiई+कiv)			कv
ख		ऋण और अग्रिम			
	i	नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम	खा		
	ii	निक्षेप, उधार तथा कारपोरेट अग्रिम और अन्य	खाii		
	iii	राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशे-1	खाiii		
	iv	योग (खा + खाii + खाiii)			खाiv
	v	खाiv में सम्मिलित ऋण और अग्रिम जो निम्नलिखित के लिए हैं			
	क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए	vक		
	ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए नहीं	vख		
ग		योग (कv+खाiv)			3ग
घ		विद्यमान दायित्व और उपबंध			
	i	विद्यमान दायित्व			
	अ	विविध लेनदार			
	1	एक वर्ग से अधिक के लिए बकाया	1		
	2	अन्य	2		
	3	योग (1+ 2)	अ3		
	आ	पट्टाघृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ		
	इ	ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज और शोध	इ		
	ई	ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज किन्तु शोध नहीं	ई		
	उ	अग्रिम में प्राप्त आय	उ		
	ऊ	अन्य संदेय	ऊ		
	ए	योग (अ3+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ)			ऐ
	ii	उपबंध			
	अ	आयकर के लिए उपबंध	iiअ		
	आ	छुट्टी नकदीकरण/अधिवर्तिता/उपदान के लिए उपबंध	ii आ		
	इ	अन्य उपबंध	ii इ		
	ई	योग (iiअ+iiआ +iiइ)			iiई
	iii	योग (iउ+ iiई)			चाiii
ड		शुद्ध चालू आस्तियां (3ग-चाiii)			3ड

	4	क	अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क		
		ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख		
		ग	लाभ और हानि लेखा/संचित अतिशे-1	4ग		
		घ	योग (4क + 4ख + 4ग)		4घ	
	5		निधियों के उपयोग का योग (1ड + 2ग + 3ड + 4घ)			5
लेखा न होने की दशा	ग		उस दशा में, जहां कारवार या वृत्ति की नियमित लेखा-बहियां नहीं रखी जाती हैं, वहां कारवार या वृत्ति की बाबत 31 मार्च, 2023 को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें			
		1	विविध देनदारों की कुल रकम		ग1	
		2	विविध लेनदारों की कुल रकम		ग2	
		3	व्यवसायगत स्टॉक की कुल रकम		ग3	
		4	नकद अतिशे-1 की रकम		ग4	

भाग अ-विनिर्माण लेखा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 1 से 3 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)

1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन					
	क	आरंभिक सूची				
		i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i		
		ii	प्रगति हो रहे कार्य आरंभिक स्टॉक	ii		
		iii	योग (i + ii)		कiii	
	ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)			ख	
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग	
	घ	प्रत्यक्ष व्यय(घा + घाii + घाiii)			घ	
		i	आवक वहन व्यय	i		
		ii	बिजली और ईंधन	ii		
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		
	ड.	कारखाना अधिव्यय				
		i	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i		
		ii	कारखाना किराया और दर	ii		
		iii	कारखाना बीमा	iii		
		iv	कारखाना ईंधन और बिजली	iv		
		v	कारखाना साधारण व्यय	v		
		vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयन	vi		
		vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)		ड.vii	
	च	विनिर्माण खाते से विकलन का योग (कiii+ख+ग+घ+ड.vii)			च	
2	अंत स्टॉक					
		i	कच्ची सामग्री	2i		
		ii	प्रगति रत कार्य	2ii		
		योग (2i + 2ii)			2	
3	उत्पादित माल की लागत -व्यापार लेखा में अंतरित(1च-2)					3

भाग अ- व्यापार लेखा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए व्यापार लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 4 से 12 भरें अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)

व्यापार लेखा में जमा	4	प्रचालन से राजस्व		
		क विक्रय/कारबार की सकल प्राप्तियां (शुद्ध प्रतिदाय और विवरणी और शुल्क और कर, यदि कोई हो)		
		i	माल का विक्रय	i
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii
		iii	अन्य प्रचालित राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)	
		क		iiiक
		ख		iiiख
		ग	योग (iiiक + iiiख)	iiiग
		iv	योग (i + ii + iiiग)	काiv
		ख	वृत्ति से सकल प्राप्तियां	ख
व्यापार लेखा में जमा		ग विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उप कर		
		i	संघ उत्पाद शुल्क	i
		ii	सेवा कर	ii
		iii	वैट/विक्रय कर	iii
		iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv
		v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v
		vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi
		vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii
		viii	कोई अन्य शुल्क, कर और उप कर	viii
		ix	योग (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)	गाix
	घ	प्रचालन से कुल राजस्व(काiv + ख +गाix)	4घ	
	5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक	5	
	6	व्यापार लेखा में जमा का योग(4घ + 5iv)	6	
	7	तैयार मालों का आरंभिक स्टॉक	7	
	8	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, कोई हो)	8	
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)	9	
व्यापार लेखा से विकलन		i	आवक वहन व्यय	i
		ii	बिजली और ईंधन	ii
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण: प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के आधार पर लाइन खींची जा सकती है	iii
		10	माल और सेवाओं के क्रय के संबंध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर	
		i	सीमा शुल्क	10i
		ii	प्रति शुल्क	10ii
		iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii
		iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv
		v	सेवा कर	10v
		vi	वैट/विक्रय कर	10vi
		vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii
		viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix	
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x	
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi	
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xii	
	11	उत्पादित माल की लागत- विनिर्माण खाते से अंतरित	11	

12	कारबार/वृत्ति से सकल लाभ- लाभ और हानि लेखा में अंतरित	12	
12क	इंट्राडे का कारबार	12क	
12ख	इंट्राडे कारबार की आय- लाभ तथा हानि को अंतरित	12ख	

भाग अ-लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभ और हानि लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित होती है वहां मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)

लाभ और हानि लेखा को जमा	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ (12 + 12ख)		13	
	14	अन्य आय			
	i	किराया	i		
	ii	कमीशन	ii		
	iii	लाभांश आय	iii		
	iv	ब्याज आय	iv		
	v	स्थिर आस्तियों के विक्रय से लाभ	v		
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में भारत प्रतिभूति के कारण विनिधान के विक्रय पर लाभ	vi		
	vii	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	vii		
	viii	धारा 43क के अधीन विदेशी विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii		
	ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजीगत आस्ति में संपरिवर्तन पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका की एफएमवी)	ix		
	x	कृषि-आय	x		
	xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	क		xiक		
	ख		xiख		
	ग	योग (xiक + xiख)	xiग		
	xii	अन्य आय का योग(i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)		14xii	
	15	लाभ और हानि लेखा को जमा का योग(13+14xii)		15	
लाभ और हानि लेखा से विकलन	16	जावक भाड़ा व्यय		16	
	17	भंडारित और अतिरिक्त सामानों का उपभोग		17	
	18	बिजली और ईंधन		18	
	19	किराया		19	
	20	भवन की मरम्मत		20	
	21	मशीनरी की मरम्मत		21	
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर			
	i	वेतन और मजदूरी	22i		
	ii	बोनस	22ii		
	iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii		
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv		
	v	अवकाश यात्रा लाभ	22v		
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi		
vii	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii			
viii	मान्यता प्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii			
ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix			
x	कर्मचारियों को अन्य कोई लाभ जिसके संबंध में व्यय उपगत किया गया है	22x			
xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i का 22x योग)		22xi		
xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xiiक	हां / नहीं		
	यदि हां तो , अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख			

23	बीमा				
	i	चिकित्सा बीमा	23i		
	ii	जीवन बीमा	23ii		
	iii	प्रमुख व्यक्ति बीमा	23iii		
	iv	कारखाना, कार्यालय, कार, मालों आदि सहित अन्य बीमा	23iv		
	v	बीमा पर कुल व्यय(23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v	
24	कर्मकारों और कर्मचारी कल्याण व्यय			24	
25	मनोरंजन			25	
26	आतिथ्य			26	
27	सम्मेलन			27	
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन के सिवाय)			28	
29	विज्ञापन			29	
30	कमीशन				
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग (i + ii)		30iii	
31	स्वामिस्व				
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग I (i + ii)		31iii	
32	वृत्तिक/परामर्श फीस /तकनीकी सेवाओं के लिए फीस				
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग (i + ii)		32iii	
33	होटल, भोजन तथा आवास			33	
34	विदेश यात्रा के सिवाय व्यय			34	
35	विदेश यात्रा व्यय			35	
36	प्रवहण व्यय			36	
37	टेलीफोन व्यय			37	
38	अतिथि गृह व्यय			38	
39	क्लब व्यय			39	
40	उत्सव समारोह व्यय			40	
41	छात्रवृत्ति			41	
42	दान			42	
43	संदान			43	
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर और दर (आय पर करों के सिवाय)				
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	वेट/विक्रय कर	44iii		
	iv	उप कर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		

	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		
	ix	एसटीटी और सीटीटी सहित कोई अन्य दर, कर, शुल्क और उपकर	44ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर(44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)		44x	
45		संपरीक्षा फीस		45	
46		फर्म के भागीदारों को वेतन/पारिश्रमिक		46	
47		अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	i		i		
	ii		ii		
	iii	योग (i + ii)		47iii	
48		अशोध्य ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या अधिक का अशोध्य ऋण दावा किया गया है)			
	i(1)		48i(1)		
	i(2)		48i(2)		
	i(3)		48i(3)		
		अपेक्षानुसार लाइन खींची जा सकती है कुल योग [48i(1)+48i(2)+48i(3)]	48i		
	ii	अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) जहां स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूरा पता उल्लिखित करें)	48ii		
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)	48iii		
	iv	कुल अशोध्य ऋण 48i + 48ii + 48iii)		48iv	
49		अशोध्य संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध		49	
50		अन्य उपबंध		50	
51		ब्याज के पूर्व लाभ, अवक्षयण [15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48vii + 49 + 50)]		51	
52		ब्याज			
	i	भारत से बाहर भुगतान किया गया हो अथवा भारत में किसी अनिवासी को (कंपनी के अलावा) अथवा किसी विदेशी कंपनी को	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग (i + ii)		52iii	
53		अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण		53	
54		करों के पूर्व शुद्ध लाभ(51 - 52iii - 53)		54	
55		चालू कर के लिए उपबंध		55	
56		आस्थगित कर का प्रावधान		56	
57		कर के पश्चात् लाभ(54 - 55 - 56)		57	
58		पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रणीत अतिशेष		58	
59		विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम(57 + 58)		59	
60		आरक्षित और अतिशेष में अंतरित		60	
61		स्वत्वधारी के लेखा में तुलन पत्र में अग्रणीत अतिशेष (59 - 60)		61	
62		धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)			
		क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण
	(i)	सकल आवर्तन या सकल प्राप्तियां (ik + ix)			62i
	क	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त			ik
	ख	किसी अन्य ढंग से			ix

कर और विनियोजनों के लिए उपबंधों का प्रावधान

उपधाराणात्मक आय मामले

		(ii) धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक आय (iiक+ iiख)		62ii	
		क	62क का 6% या अर्जित दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iiक	
		ख	62ख का 8% या दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iiख	
टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियां/आवर्तन, के उपरोक्त प्रतिशत से कम हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44क ख के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है					
63		धारा 44कघ के अधीन वृत्तियों से उपधाराणात्मक आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)			
क्रम सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड		विवरण
(i) सकल प्राप्तियां					
(ii) धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक आय (63i का 50%, या अर्जित दावाकृत रकम जो भी अधिक रकम)					
टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियों के 50% से कम आय हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44कघ के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है					
64		धारा 44कड. के अधीन मालों के वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना			
क्रम सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड		विवरण
	माल वहन की रजिस्ट्रीकरण संख्या	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टे या भाड़े पर है	माल वहन की टन भार क्षमता(मी.ट.में)	मासों की संख्या जिसके लिए निर्धारिती द्वारा माल को स्वामित्व/पट्टे/भाड़े पर लिया गया	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (टन भार के 12 मी.ट. से अधिक होने पर 1000 रुपया प्रति टन प्रतिमास या, अन्यथा 7500 रु. प्रतिमास) या दावाकृत वास्तविक अर्जित रकम, जो भी अधिक हो
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)					
(ख)					
	कुल				
यथा आवश्यक लाइन जोड़ने का विकल्प (अधिकतम 10 तक)					
(ii) धारा 44कड. के अधीन मालवहन से कुल उपधाराणात्मक आय [सारणी 64(i) के स्तंभ (5) का योग]		64(ii)			
(iii) कमी: वेतन/फर्म के भागीदारों को पारिश्रमिक		64(iii)			
(iv) धारा 44कड. के अधीन कुल उपधाराणात्मक आय (ii-iii)		64(iv)			
टिप्पण—यदि लाभ अनुसूची 44कड के अंतर्गत विनिर्दिष्ट से कम है अथवा वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्व वाले माल वाहकों की संख्या 10 से अधिक है, तो यह अनिवार्य है कि बही लेख रखा जाए और 44कख के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा करवाया जाए।					
65		यदि कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा बही अनुरक्षित नहीं होती है तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्वतन वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें			
(i) कारबार कर रहे निर्धारिती के लिए					
अ		सकल प्राप्तियां (क1 + क2)		ik	
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त		क1	
	2	किसी अन्य ढंग से		क2	
ख	सकल लाभ		ix		
ग	व्यय		ig		
घ	शुद्ध लाभ				65i
(ii) वृत्तिरत निर्धारिती के लिए					
क	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)		iik		

	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1		
	2	किसी अन्य ढंग से	क2		
	ख	सकल लाभ	iiख		
	ग	व्यय	iiग		
	घ	शुद्ध लाभ			65ii
	(iii)	कुल लाभ (65i + 65ii)			65iii
66	i	सट्टा क्रियाकलाप से आवर्तन			66i
	ii	सकल लाभ			66ii
	iii	व्यय, यदि कोई हो			66iii
	iv	सट्टा क्रियाकलाप से शुद्ध आय (66ii - 66iii)			66iv

भाग क- अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (यदि धारा 44 कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आजापक)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ग में नियोजित लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद		
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	3क		
		[अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11क (iii)]			
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	3ख		
		[अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11ख(iii)]			
	4	पूर्व वर्ग में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति			
		क कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)			
		ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)			
		ग क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हां तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें)			
		घ धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4 घ		
		ङ धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ		
	5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो-			
		क धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मर्दे हैं	5क		
		ख प्रत्यय, वापसी सीमाशुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर या विक्रय कर या मूल्य वृद्धित कर या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्रत्यय, वापसी या प्रतिदायों को ग्रहण किया जाता है	5ख		
		ग पूर्ववर्ग के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग		
		घ आय की कोई अन्य मद	5घ		
		ङ पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ		
		च लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च		
	6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के न पूरा करने पर धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखे में विकलित रकम			
		क स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क		
		ख कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख		
		ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभाना के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग		
		घ उधार ली गई पूंजी की वास्तविक संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1)(iii)]	6घ		
	ङ जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii क)]	6ङ			
	च किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च			
	छ अनुमोदित अधिवर्तिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ			
	ज धारा 80गघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम में अभिदायों की रकम [36(1)(iv क)]	6ज			
	झ किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ			
	ञ किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ			
	ट किसी भविष्य निधि या अधिवर्तिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी निधि में अभिदायों के रूप में शोध्य तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में प्रत्यय नहीं की गई किसी रकम के परिमाण तक कोई राशि [36(1)(v क)]	6ट			
	ठ दूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ			
	ड दूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड			
	ढ किसी विशेष आरक्षित में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ			

ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संबंधन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
त	प्रतिभूतियों में संयवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूति संयवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार से आय में शामिल नहीं किया गया है 1[36(1)(xv)]	6त	
थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii)] के अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	6थ	
द	सरकारी अनुमोदित कीमत से अधिक में गन्ने की खरीद के लिए व्यय [36(1)(xvii)]	6द	
ध	कोई अन्य अननुज्ञेय	6ध	
न	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ध का योग)	6न	
प	नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (निर्धारित की मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के मामले में बाध्यकारी)		
	i भारत में तैनात	i	
	ii भारत से बाहर तैनात	ii	
	iii योग	iii	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें		
क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क	
ख	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय [37(1)]	7ख	
ग	व्यय जो अधिकशित या अनन्य रूप से कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्णतया नहीं है [37(1)]	7ग	
घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(2) ख]	7घ	
ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिनिद्ध है	7छ	
ज	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज	
झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7झ	
ञ	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ञ का योग)	7ञ	
8	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i), के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	
ख	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अननुसरण के लेखे धारा 40(क)(i) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम	अख	
ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(ix) के अधीन अननुज्ञात योग्य रकम	अग	
घ	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अननुसरण के लेखे धारा 40(क)(iii) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम	अघ	
ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40(क)(ii)]	अङ	
च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40(क)(ii) क]	अच	
छ	राजस्व, अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से धारा 40(क)(iib) के अनुसार संदत्त रकम	अछ	
ज	किसी मागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम [40(ख)]	अज	
झ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अझ	
ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अञ का योग)	8अञ	
आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम	8आ	

9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें		
क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क	
ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख	
ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)]	9ग	
घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क (9)]	9घ	
ङ	धारा 36(1)(xviii) [40क(13)] के अधीन यथा अनुज्ञेय चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	9ङ	
च	कोई अन्य अननुज्ञेय	9च	

	छ	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क और 9ड का योग)		9 छ	
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्तन में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्तन के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्तिका निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से लिए गए ऋण या उधार पर, समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	10घ क		
	ड	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ड		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च		
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	10छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10छ का योग)		10ज	
11	पूर्व वन के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्तिका निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से लिए गए ऋण या उधार पर, समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	11घ क		
	ड	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ड		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	11छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11छ का योग)		11ज	
12	निम्नलिखित की बावत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ		
	ड	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ड		
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य कर	12ज		
	झ	बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12झ	
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें			13	
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभाय लाभ की कोई रकम			14	
15	लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम			15	
16	धारा 14क के अधीन अनुज्ञेय व्यय			16	
17	क्या निर्धारित धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]			17	

भाग क-परिणात्मक व्यौरे

परिणात्मक व्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक)

परिणात्मक व्यौरे	(क)	व्यापारिक समुत्थान की दशा में	
	1	आरंभिक स्टाक	1
	2	पूर्व वन के दौरान क्रय	2

	3	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	3		
	4	बंद स्टॉक	4		
	5	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	5		
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में			
	6	कच्ची सामग्री			
		क	आरंभिक स्टॉक	6क	
		ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	6ख	
		ग	पूर्व वर्ग के दौरान उपभोग	6ग	
		घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	6घ	
		ङ	बंद स्टॉक	6ङ	
		च	प्राप्त तैयार उत्पाद	6च	
		छ	प्राप्ति का प्रतिशत	6छ	
		ज	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	6ज	
	7	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद			
		क	आरंभिक स्टॉक	7क	
		ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	7ख	
		ग	पूर्व वर्ग के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
		घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	7घ	
		ङ	बंद स्टॉक	7ङ	
		च	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च	

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्योरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राप डाउन का उल्लेख करें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	देश	पिन कोड / जिप कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)						
	संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %						
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम						
	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या						
	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)						
	I						
	II						
	[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएँ] (सही का निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया						
	किराएदार का नाम यदि किराये पर हो(
किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार संख्या(कृपया टिप्पण देखें)							
किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार संख्या(यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)							
I							
II							
क प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य							
1क							
ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती							
1ख							
ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर							
1ग							
घ योग (1ख + 1ग)							
1घ							
ङ वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)							
1ङ							
च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत X 1ङ)							
1च							
छ 1च का 30%							
1छ							
ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज							
1ज							
झ योग (1छ + 2ज)							
1झ							
ञ वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%							
1ञ							
ट गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)							
1ट							
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	देश	पिन कोड / जिप कोड		
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)							
संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %							
सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम							
सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या							
संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)							
I							

II	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)		किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार संख्या (कृपया टिप्पण देखें)										किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार संख्या (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)										
	[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया		I																				
			II																				
क	प्राप्त या प्राप्त्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य (यदि पूरे वर्ग के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ग के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)		2क																				
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती		2ख																				
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर		2ग																				
घ	योग (2ख + 2ग)		2घ																				
ङ	वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)		2ङ																				
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत X 2ङ)		2च																				
छ	1च का 30%		2छ																				
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज		2ज																				
झ	योग (2छ + 2ज)		2झ																				
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया / वसूल न होने वाला किराया घटा 30%		2ञ																				
ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)		2ट																				
3	आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास*		3																				
4	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2झ का अंक लें)		4																				

टिप्पण

यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है।
यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है।

अनुसूची - कारबार या वृत्ति

कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

अ	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति																							
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क- पी और एल का मद 54 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii) या 66(iv))		1																					
2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि [लाभ और हानि अनुसूची की क्रम संख्या 66iv]		2क																					
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में ऋणात्मक चिह्न प्रविष्ट करें)		2ख																					
3	115खख के अधीन प्रभार्य या 115खख के अधीन प्रभार्य या 115खख के अधीन प्रभार्य आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते में जमा आय/प्राप्तियां		क	गृह संपत्ति		3क																		
			ख	पूंजी अभिलाभ		3ख																		
			ग	अन्य स्रोत		3ग																		
			गां	लाभांश आय		3गां																		
			गां	लाभांश आय के अलावा		3गां																		
			घ	धारा 115खख		3घ																		
			ङ	धारा 115खख		3ङ																		
			च	धारा 115 खख के तहत (अधियहण की लागत के अलावा)		3च																		
4क	1 में शामिल लाभ व हानि जो कि धारा 44कघ/ 44कघक/ 44कङ/ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44घक/ 44घख में संदर्भित है (धारा 115ख में संदर्भित जीवन बीमा व्यवसाय से लाभ के अलावा) (झापडाउन का उल्लेख करें)		4क																					
4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ		4ख																					
4ग	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 में सम्मिलित क्रियाकलापों से लाभ (झापडाउन का उल्लेख करें)		4ग																					
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है																							
	(क) फर्म/ फर्मों से आय का अंश		5क																					
	(ख) एओपी/बीओपी से आय का अंश		5ख																					
	(ग) कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)																							
	i		ग i																					
	ii		ग ii																					
	iii योग (ग i + ग ii)		5ग iii																					
	(घ) कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 ग iii)		5घ																					
6	बकाया (1- 2क - 2ख - 3क - 3ख - 3ग - 3ङ - 3च - 4क - 4ख - 4ग - 5घ)		6																					

7	115खखच के अधीन प्रभार्य/115खखछ के अधीन प्रभार्य/ 115 खखज के अधीन प्रभार्य आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते से किए गए व्यय	क	गृह संपत्ति	7क	
		ख	पूँजी अभिलाभ	7ख	
		ग	अन्य स्रोत	7ग	
		घ	धारा 115खखच	7घ	
		ङ	धारा 115खखछ	7ङ	
		च	धारा 115 खखज के तहत अधिग्रहण की लागत के अलावा	7च	
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय			8क	
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है और धारा 14क के अधीन अननुज्ञेय है (भाग क अन्य जानकारी का 16)			8ख	
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7ङ + 7च + 8क + 8ख)			9	
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)			10	
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण			11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण				
	i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घडत का स्तंभ 6)		12i	
	ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना करे आयकर नियम के परिशिष्ट-ट-झक के अनुसार)		12ii	
	iii	कुल (12i + 12ii)			12iii
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 +11 - 12iii)			13	
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 6S)			14	
15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 7झ)			15	
16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 8कज)			16	
17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 9ख)			17	
18	पूर्व वर्ग के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग क -णझ का 11ज)			18	
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज			19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय			20	
21	धारा 32 कग/ 32कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक /35कखख/ 35 कग/40 क(3 क)/ 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन मानी गई आय			21	
22	43 गक के अधीन मानी गई आय			22	
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मर्दे			23	
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अननुज्ञेय नहीं है (जिसमें वेतन से आय, कमीशन, बोनस और उस फर्म से ब्याज जिसमें निर्धारती भागीदार है)			24	
25	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3क + 4घ)			25	
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)			26	
27	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती			27	
28	धारा 35 या धारा 35गग या धारा 35गघ के अधीन कटौती की रकम से अधिक रकम जो लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई है। अनुसूची उधद की मद x(4) (यदि धारा 35 या धारा 35गग या 35गघ के अधीन कटौती की गई रकम लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)			28	
29	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क -णझ का 8ख)			29	
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ग के दौरान अननुज्ञेय कोई रकम (भाग क -णझ का 10ज)			30	
31	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम			31	
32	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3ख+ 4ड.)			32	
33	कुल (27+28+29+30+31+32)			33	
34	आय (13+26-33)			34	
35	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति के समझे जाने वाले लाभ या हानि -				

	i	धारा 44कघ [अनुसूची का 62(ii)]	35i		
	ii	धारा 44कघक [अनुसूची का 63(ii)]	35ii		
	iii	धारा 44कड [अनुसूची का 64(ii)]	35iii		
	iv	धारा 44ख	35iv		
	v	धारा 44खख	35v		
	vi	धारा 44खखक	35vi		
	vii	धारा 44घक	35vii		
	viii	धारा 44घख	35viii	(प्रारूप उगड की मद 4)	
	ix	कुल (35i से 35viii)			35viii
36		सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34+35viii)			36
37		नियम 7क, 7ख या 8 यदि लागू हों तो, को लागू करने के पश्चात् सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार या व्यवसाय से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 8 लागू नहीं होते हैं तो 37 में कोई संख्या भरें) (यदि हानि है तो 2i की मद को ड में ले जाएं) (37क + 37ख + 37ग + 37घ + 37ड + 37च)			क 37
	क	नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	37क		
	ख	नियम 7क के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37ख		
	ग	नियम 7ख (1) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37ग		
	घ	नियम 7ख(1क) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37घ		
	ड	नियम 8 के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37ड		
	च	नियम 7क, 7ख और 8 (मद सं. 36)के सिवाय आय	37च		
38		वित्त अधिनियम के अनुसार आय के एकत्रीकरण के प्रयोजन के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू करने के पश्चात् कृषि से हुई समझी गई आय का [4ग-(37क+37ख+37ग+37घ+37ड.)]			38
आ		सट्टे के कारबार से आय की संगणना			
	39	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			39
	40	धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन			40
	41	धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियां			41
	42	सट्टेबाजी के कारबार से आय (हानि की दशा में 6xvi के अंक को अनुसूची गच ठ में ले जाएं)			आ42
इ		विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना धारा 35 कघ के अधीन			
	43	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			43
	44	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन			44
	45	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतिया (धारा - (i) 35 कघ के अधीन कटौतियों से भिन्न, (ii) 32 या 35 जिनपर धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है			45
	46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43+44-45)			46
	47	धारा 35कघ के अनुसार कटौतियां (1)			47
	48	विनिर्दिष्ट कारबार से आय (46-47) (हानि की दशा में 7xvi के अंक को अनुसूची गचठ में ले जाएं)			इ48
	49	धारा 35कघ की उपधारा (5) का सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को समाविष्ट करता है (ड्रापडाउन मैनुयू से चयन किए जाए)			इ49
घ		'कारबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ' शी-1 के अधीन प्रभार्य आय (क37+ ख42+ ग48)			घ
ड		चालू वर्ग की कारबार हानि को बट्टे खाते में डालने के अंतः शी-1			
क.सं.		कारबार आय की किस्म	चालू वर्ग की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब संख्या या शून्य या सकारात्मक हो)	बट्टे खाते में डाली गई कारबार हानि	बट्टे खाते में डालने के पश्चात् कारबार आय
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
i		बट्टे खाते में डाली जाने वाली हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब संख्या		(क 37)	
ii		सट्टेबाजी के कारबार से आय	(ख 42)		
iii		विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 48)		
iv		धारा 115 ख के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(4ख)		
v		बट्टे खाते में डाली गई कुल हानि (ii + iii)			
vi		बट्टे खाते डालने के पश्चात् शे-1 हानि (i - v)			

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	1	संयंत्र और मशीनरी			
	2	15	30	40	45
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	भूमि	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
	2	कुछ नहीं	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							

10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण						
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण						
12	कुल अवक्षयण। (10+11)						
13	आयकर अधिनियम (सूतंभ 12 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यहास,						
14	कुल नियत मूल्यहास (12-13)						
15	उत्तराधिकार,समामेलन, निर्विलयन आदि (सूतंभ 14 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास						
16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय						
17	धारा 50। के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)						
18	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 - 12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						

अनुसूची - डीईपी आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी				
		क 15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i के अनुसार लागू)	1क			
		ख 30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii के अनुसार लागू)	1ख			
		ग 40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii के अनुसार लागू)	1ग			
		घ 45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)	1घ			
		ङ संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)	1 ङ			
	2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)				
		क 5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii के अनुसार लागू)	2क			
		ख 10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii के अनुसार लागू)	2ख			
		ग 40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv के अनुसार लागू)	2ग			
	घ भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))	2घ				
	3 फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v के अनुसार लागू)	3				
	4 अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi के अनुसार लागू)	4				
	5 पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii के अनुसार लागू)	5				
	6 कुल अवक्षयण (1ङ+2घ+3+4+5)	6				

अनुसूची - डीसीजी अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी			
	क 15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		
	ख 30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		

	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 20iv)	1घ		
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+ 1घ)			
2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)				
क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क			
ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख			
ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग			
घ	योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)				3
4	अमर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)				4
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)				5
6	कुल अवक्षयण (1ङ+ 2घ + 3 + 4 + 5)				6

अनुसूची इएसआर		वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती)		
क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यय	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2 कक)			
vii	35(2 वख)			
viii	35गगग			
ix	35ग गगघ			
x	योग			
टिप्पण ▶	यदि किसी मामले में धारा 35(1)(ii) or 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) या 35(2कक), के अधीन कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची आरए (दक) के अनुसार ब्यौरों का उल्लेख करें ।			

अनुसूची-पूँजी अभिलाभ

पूँजी अभिलाभ

पूँजी अभिलाभ

अल्प कालिक पूँजी अभिलाभ	क	अल्प कालिक पूँजी अभिलाभ (एसटीसीजी) / उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है			
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से विवरण भरें)			
	क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	का	
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii	
		iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (काii) (का) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (का) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (काii) लें]	काiii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i	
		ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii	
		iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii	
		iv	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iv	

		v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v				
ग	तुलन कां३ - ख v)			1 ग				
घ	धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			1 घ				
ङ	स्थावर संपत्ति पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)				क 1 ङ			
च	स्थावर संपत्ति के अंतरण के मामले में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें (टिप्पण देखें)							
		क्र.सं.	क्रेता(ओं) के नाम	क्रेता(ओं) का पैन/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड , ज़िप कोड	पिन कोड
		टिप्पण ▶ यदि धारा 194-इक के अधीन कर की कटौती की गई है तो स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्याप्रस्तुत करना आज़ापक है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें ।						
2	स्लम्य विक्री से							
	क	i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कां				
		ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2का३				
		iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)	2का३				
	ख		बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2 ख				
	ग		स्लम्य की विक्री से अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (2का३ - 2ख)					क 2 ग
3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1) (ii) (ख) के परंतुक (एफआईआई के लिए) के अधीन एसटीटी संदत किया गया है							
	क		प्रतिफल का पूरा मूल्य			3 क		
	ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां					
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i				
		ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii				
		iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ग iii				
		iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv				
		v	योग (i + ii + iii + iv)	ख v				
	ग		शेन (3 क - ख v)			3 ग		
	घ		धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/वोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)			3 घ		
	ङ		साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत) (3 ङ +3 घ)					क 3 ङ
4	अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)							
	क		संब्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संब्यवहार कर (एसटीटी) संदत किया गया है					क 4 क 4
	ख		संब्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संब्यवहार कर (एसटीटी) संदत नहीं किया गया है					क 4 ख
5	अनिवासियों की दशा में-धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)							
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।					
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क				
		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	ख				
		ग	पूजीगत लाभ के प्रयोजन के लिए पूजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	ग				
		ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	का३				
		iii	कुल (ग + ii)	का३				
	ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां					
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i				
		ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii				
		iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii				
		iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv				
		v	योग (i + ii + iii + iv)	ख v				
	ग		शेन (5 क iii - ख v)			5 ग		

	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ		
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत) (3 ङ +3 घ)			क 5 ङ
6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से				
	क	i विक्रय की गई आस्तियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।			
		क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i क		
		ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	i ख		
		ग पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	ig		
	ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	काii		
	iii	कुल (ig + ii)	काiii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i		
		ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii		
		iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii		
		iv पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv		
		v योग (i + ii + iii+ iv)	ख v		
	ग	शे-1 (6 क iii - ख v)	6 ग		
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	6 घ		
	ङ	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजीका 6)	6 ङ		
	च	धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटौती	6 च		
	छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग+ 6 घ + 6 ङ - 6 च)			क 6 छ
7	अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्योरा उपलब्ध कराएं			
		क्रम सं.	पूर्व वर्गों में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (X) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
	i	2019-20	54घ/54छ/54छक		
	ख	धारा 54घ/54छ/54छक के अधीन 'क' से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
	ग	अधिनियम की धारा 45(4) के धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार मानी जा सकने वाली अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि			
		लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi + ख)			
					प्रपत्र 5ग का क्रम सं. 4ख
8	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआईई भरे)(क8क+क8ख+क8ग)				
	क	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 15% की दर से प्रभार्य		अ8क	क8

	ख	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 30% की दर से प्रभार्य							अ8ख		
	ग	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास लागू दरों पर प्रभार्य							अ8ग		
9	क 1 - क8 में अंतर्विष्ट एसटीसीटी की रकम लेकिन जो भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है										
	क्रम सं.	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. का 1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है/नहीं	आई टी एकट की धारा	आइटी एकट के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 से कम)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	क	डीटीए के अनुसार भारत में अप्रभार्य कर की कुल राशि									क9 क
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल रकम									क9 ख
10	कुल अल्प कालिक पूंजी अभिलाम (क 1 ड+ क 2 ग+ क 3 ड+ क 4 क+ क 4ख+ क 5 ड+ क 6 छ+ क 7 + क 8 - क 9क)										
ख	दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं हैं)										
दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के ब्यौरे पृथक् रूप से भरें)									
	क	i	प्राप्त/प्राय प्रतिफल का पूरा मूल्य						का		
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य						काii		
		iii	पूंजी अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (काii) (का) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (का) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (काii) लें]						काiii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
	i	अधिनियम की धारा 48 के खड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी						ख i			
		सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत						ख ii			
		सूचीकरण के बिना सुधार की लागत						ख iii			
		पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय						ख iv			
	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)						ख v				
	ग	शे-1 (क iii - ख v)									1 ग
	घ	धारा 54 घ / 54 डग/ 54 छ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)						1 घ			
	ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)									ख 1 ड
	च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)									
		क्र.सं.	क्रेता(ओ) के नाम	क्रेता(ओ) का स्थायी लेखा संख्या/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड , ज़िप कोड	पिन कोड	राज्य		
टिप्पण ▶		यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती हुई है, तो स्थायी लेखा संख्यांक/आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है। एक से अधिक क्रेता की दशा में, कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें।									
2	स्लमप विक्री से										
	क	i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य						2का		
		ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य						2काii		
		iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)						2काiii		
	ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य									2ख
	ग	शे-1 (2काiii - 2 ख)									2ग
घ	धारा 54डग के अधीन कटौती									2घ	
ड	स्लमप के विक्रय से दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम (2ग - 2 घ)										
3	बंध पत्रों या डिबेचरों के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)										
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य						3क			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत						ख i			
ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत						ख ii				

	4	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
		ग	बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (3 क - 3 ख iv)		ख 3ग	
		4		सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र या धारा 112(1) लागू है, के विक्रय से	4	

		क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क	
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
		ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4 क - 4 ख iv)		ख 4 ग
5		किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोंमुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से			
		उपर्युक्त ख5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची 112 क के कॉलम 14)			ख5च
6		अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)			
		इंडेक्सेशन लाभ के बिना शेयर या डिबेंचर पर एलटीसीजी			ख6
7		अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से			
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्याँरे प्रविष्ट करें।		
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक	
		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	iख	
		ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25क के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	iग	
		ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
		iii	कुल (iग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (7 क - 7 ख iv)			ख 7 ग
8		किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोंमुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से			
		उपर्युक्त ख8 में पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ(115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक के कॉलम 14))			ख8च
9		आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं			
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्याँरे प्रविष्ट करें।		
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक	
		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	iख	
		ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25क के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	iग	

	ii	गैर कोटिड शेरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
	iii	कुल (iग + ii)	क iii	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
ग	अतिशेष (क iii- खiv)			9 ग
घ	धारा 54घ/धारा 54छ/धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें)			9 घ
ङ	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (9ग-घ)			ख 9 ङ

10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्योरा उपलब्ध कराएं									
	क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि					
	i	2019-20	54घ/54छ/54छक	वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि					
ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
ग	अधिनियम की धारा 45(4) के धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार मानी जा सकने वाली अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि				10ग पत्र 5ग का क्रम सं. 4ख					
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+ख)				ख10					
11	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पास थू आय, (अनुसूची तनझ भरें) (आ11क + आ11ख)				B11					
	क1	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभार्य			आ11क1					
	क2	धारा 112क के अंतर्गत के अतिरिक्त धाराओं के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभार्य			आ11क2					
	ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 20% की दर से प्रभार्य			आ11ख					
12	ख 1 से ख11 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जो भारत में डीटीएए के अनुसार कर से प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है									
	क्रम सं.	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. ख 1 से ख11 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीएए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है हां/नहीं	आई टी एकट की धारा	आईटी एकट के अनुसार दर	लागू दर(6 या 9 से कम)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
क	डीटीएए के अधीन भारत में एलटीसीजी प्रभार्य नहीं कर की कुल राशि				ख12क					
ख	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि				ख12ख					
13	कुल दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (ख 1ङ + ख 2ङ + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8 - ख 9घ + ख10 + ख11 - ख12क)				ख13					
ग1	पूंजीगत अभिलाभ राशि (क10 + ख13) (ख13 को शून्य लें, यदि हानि हो)				ग1					
ग2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वी.डी.ए के स्तंभ 7 में समस्त सकारात्मक आय की राशि)				ग2					
ग3	"पूंजीगत लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय (ग1+ग2)				ग3					
घ	पूंजीगत लाभ के विरुद्ध कम किए गए दावे के बारे में सूचना									
1	धारा 54घ / धारा 54ङघ/धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्योरे दें।									
क	54 घ के अधीन कम किया गया दावा									
	i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख		क i	दिन/मास/वर्ष					
	ii	नई भूमि या आदयोगिक उपक्रम के लिए नई भूमि या भवन के क्रय/सनिर्माण की लागत		क ii						
	iii	नई भूमि या भवन की खरीद की तारीख		क iii	दिन/मास/वर्ष					

	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	क iv	
	v	कम किए गए दावे की रकम	क v	
ख	54ड.ग के अधीन कम किया गया दावा			
	i	मूल आसूति के अंतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष
	ii	विनिर्दिष्ट या अधिसूचित बंधपत्रों में निवेश की रकम	ख ii	
	iii	निवेश की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	कम किए गए दावे की रकम	ख iv	
ग	54छ के अधीन कम किया गया दावा			
	i	मूल आसूति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई आसूति के क्रय और सन्निर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय	ग ii	
	iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आसूतियों के क्रय/सन्निर्माण की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	ग iv	
	v	कम किए गए दावे की रकम	ग v	
घ	54छक के अधीन कम किया गया दावा			
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आसूति के अंतरण की तारीख	घा	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई आसूति के क्रय और सन्निर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय	घाii	
	iii	सेज में नई आसूतियों के क्रय/सन्निर्माण की तारीख	घाiii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	घाiv	
	v	कम किए गए दावे की रकम	घाv	
ड	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ)			1 ड

ड पूंजी अभिलाभ चालू वर्ग की पूंजी हानि को चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (ए-8 और बी-9 में सम्मिलित डीटीए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)

क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			मुजराई के पश्चात चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ 9= 1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	लागू दर	डीटीए दर	10%	20%	डीटीए दर	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	मुजराई की जाने वाली पूंजी हानि (इस स्तंभ को केवल तभी भरें, जब संगणित अंक नकारात्मक हों)		(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)	अ5ड* + अ8ख*	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ1ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8*+ आ11क1*+ आ11क2*)	(आ1ग*+ आ2ड*+ आ3ग*+ आ6*+ आ9ड*+ आ10+ आ11ख)	आ12ख	
ii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)							
iii		30%	अ5ड* + अ8ख*							
iv		लागू दर	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)							
v		डीटीए दर	अ9ख*							
vi		दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	10%	आ1ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8*+ आ11क1*+ आ11क2*)						

Vii	20%	(आ1ग* + आ2ड* + आ3ग* + आ6* + आ9ड* + आ10 + आ11ख)								
Viii	डीटीएए दर	आ12ख								
Ix	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)									
x	मुजरा के पश्चात् शे-न हानि (i - ix)									

इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (आ1ड.* आदि) अपने अपने स्तंभ (अ1-अ8) में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीएए के अनुसार विशेष दर पर प्रभार्य हैं, एसटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।

इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (आ1ड.* आदि) अपने अपने स्तंभ (आ1-आ11) में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीएए के अनुसार विशेष दर से प्रभार्य है, एलटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।

च पूंजी अभिलाभ के उद्भूत /प्राप्ति के वि-गय में सूचना

	पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (iv)
1	15% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
2	30% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
3	लागू दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
4	डीटीएए दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5ix से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
5	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5x से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
6	20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
7	डीटीएए दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
8	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूंजीगत अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य अनुसूची एस.आई की मद 17ख से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो)					

अनुसूची वी.डी.ए		आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय				
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	पूँजी अभिलाभ का प्रकार (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा 56(2)(x) के तहत राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम(हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 – स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियाँ						
कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक आय की राशि)						(अनुसूची सी.जी का मद सं. ग2)

अनुसूची-अन्य स्रोत		अन्य स्रोतों से आय	
1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभाय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
क	लाभांश, सकल	1क	
	i धारा 2(22)(ड) के तहत लाभांश आय	कां	
	ii (i) के अलावा लाभांश आय	कांii	
ख	व्याज, सकल (खां + खांii + खांiii + खांiv)	1ख	
	i बचत खाता से	खां	
	ii जमा से (बैंक/ डाकघर/सहकारी सोसाइटी)	खांii	
	iii आय कर प्रतिदाय से	खांiii	
	iv पास थ्रु आय की प्रकृति की आय/हानि में	खांiv	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
घ	धारा 56(2) (भ) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभाय है (घा + घां + घांii + घांiii + घांiv + घांv)	1घ	
	i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का कुल मूल्य	घां	
	ii प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घांii	
	iii अपर्याप्त प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घांiii	
	iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घांiv	
	v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घांv	
ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ङ	
	क्र.सं.	प्रकृति	राशि
	1		
	2		
	आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है		
2	विशेष दरों पर प्रभाय आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं.1 से संबंधित)	2	
क	धारा 115खख के अधीन लॉटरी, वर्ग पहेली आदि जीतने से हुई आय	2क	
ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभाय आय (खां + खांii + खांiii + खांiv + खव + खvi)	2ख	
	i धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खां	
	ii धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खांii	
	iii धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खांiii	
	iv धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खांiv	
	v धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खव	
	vi धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi	
ग	विशेष दर पर प्रभाय कोई अन्य आय (गां से गxxiii का योग)	2 ग	
	i अनिवासी द्वारा प्राप्त लाभांश (धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभाय कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं)	ग i	

ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी संस्था या विदेशी मुद्रा ऋणों से प्राप्त ब्याज	ग ii									
iii	धारा 115क(1)(क)(iik) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	ग iii									
iv	धारा 115क(1)(क)(iikक) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठ ग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	ग iv									
v	धारा 115क(1)(क)(iikक) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @4% में निर्दिष्ट ब्याज	ग v									
vi	धारा 115A(1)(क)(iikख) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठ घ में निर्दिष्ट ब्याज	ग vi									
vii	धारा 194ठखक में निर्दिष्ट ब्याज वाली वितरित आय-धारा 115(1)(क)(iikग) के अधीन प्रभार्य	ग vii									
viii	विदेशी मुद्रा में खरीदी गई धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट यू टी आई या अन्य पारस्परिक निधि की यूनिटों से आय-धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	ग viii									
ix	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय - धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अंतर्गत प्रभार्य	ग ix									
x	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड के लाभांश पर आय	ग x									
xi	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	ग xi									
xii	(115कख में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न) प्रतिभूतियों के संबंध में एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त आय	ग xii									
xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई दरों ब्याज द्वारा प्राप्त आय-धारा 115कघ(1)(i) के अनुसार प्रभार्य	ग xiii									
xiv	धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर	ग xiv									
xv	कतिपय मामलों में अनाम संदान - धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य	ग xv									
xvi	धारा 115खखच के अधीन प्रभार्य-भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से स्वामिस्व द्वारा आय	ग xvi									
xvii	धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण द्वारा आय	ग xvii									
xviii	धारा 115ड के अधीन प्रभार्य-अनिवासी भारतीय की निवेश आय	ग xviii									
xix	ऑफशोर निधि की इकाइयों के संबंध में आय 115कख(1)(क)	ग xix									
xx	धारा 115कघ(1)(i)के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xx									
xxi	धारा 115कघ(1)(i)के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xxi									
xxii	धारा 115कघ(1)(i) के तहत प्रभार्य- (धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा) प्रतिभूतियों के संबंध में निर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त आय (लाभांश के अलावा)	ग xxii									
घ	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य सत्रों से आय की प्रकृतिमें गुजरी हुई आय (झापडाउन प्रदान किया जाए)				2घ						
ङ	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित जो डीटीएए के अनुसारभारत में विशेष दरों पर 2 घ (नीचे सारणी के स्तंभ (2) का योग)				2ङ						
	क्रम सं.	आय की रकम	जिसमें मनु सं० 1क और 1घ सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीडीएए का अनुच्छेद	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो कुछ नहीं प्रविष्ट कर)	क्याटी आरसी प्राप्त की गई है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्न)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (आर्य प्रभार्य से संबंधित विशेष दरों के अधीन 2क,2ख,2ग एवं 2घ के आलावा)										
	क	व्यय/ कटौतियां "ग" में इंद्रराज के अलावा					3क				
	ख	अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध यदि 1ग में आय दी जाती है)					3ख				
	ग	धारा 57(1) के तहत लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंद्रराज					3ग				
	गां	धारा 57(i) के तहत योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि					3गां				
	घ	योग					3घ				

4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	4					
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	5					
6	अन्य स्रोतों से निवल आय 1 (डीटीए अंश से संबंधित आय घटाने के बाद)-3+4+5 (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 4/में आंकड़े भरें)	6					
7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (शून्य के रूप 6 दर्ज करें, यदत्रिणात्मक)	7					
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय						
	क प्राप्ति	8क					
	ख केवल 8क पर प्राप्ति के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख					
	ग धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
	घ धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
	ङ अतिशे-1 (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीएफएल के 11xv में आंकड़े भरें)	8ङ					
9	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (नकारात्मक की दशा में 8ङ को ले जाएं)	9					
10	अन्य स्रोतों से आय के प्रोदभवन/प्राप्ति के बारे में सूचना						
	क्र०सं०	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	फॉर्म 16/6 से 15/9 तक	फॉर्म 16/9 से 15/12 तक	फॉर्म 16/12 से 15/3 तक	फॉर्म 16/3 से 31/3 तक
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, फ्रासवर्ड पहेली, दौड़ खेलों, जुआ, सट्टेबाजी से आय						
2	क्रम सं. 1क (i) में संदर्भित लाभांश पर आय						
3	धारा 115क(1)(क)(i) के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
4	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय						
5	धारा 115क(1)(क)(ii) के तहत 10% की दर से ब्याज से वितरित आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
6	धारा 115कघ(1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ आई आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
7	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
8	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय						

अनुसूची सी.वाई.एल.ए चालू वर्गों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्योरे

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्गों की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्गों की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वर्गों की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वर्गों के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभार्य रकम से भिन्न)	मुजरा के पश्चात् शेष बची चालू वर्गों की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि संगणित आंकड़ा नकारात्मक है तो केवल यह पंक्ति भरें)		(अनुसूची एचपी का 4)	(अनुसूची बीपी के मद ३ का 2vi)	(अनुसूची ओएस का 6)	

ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एचपी का 4)				
iii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची एचपी का क 37)				
iv	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची बीपी के मद ड का 3iv)				
v	सट्टे से आय	(अनुसूची बीपी के मद ड का 3ii)				
vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची बीपी के मद ड का 3iii)				
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का viii)				
x	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभाय कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 vii)				
xiii	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय दीर्घ कालीनप पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभाय कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभाय कुल आय	(अनुसूची ओएस की मद 6)				
xv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ओएस की मद 8इ)				
xvi	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस की मद 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात् शे-1 हानि (i - xvi)					

अनुसूची-बी.एफ.एल.ए

पूर्व बर्णों की अग्रनीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के ब्यारे

क्र.सं.	आय का शी-1/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू बर्ण की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रनीत हानि	मुजरा किया गया अग्रनीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत मोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शे-1 बची चालू बर्ण की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(ख यदि गृह संपत्ति से हानि है)			
ii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iii	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
viii	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय लघु कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			

x	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xi)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)				
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)				
xii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घ कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)				
xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiv)					
xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)				
xv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xvii)					
xvi	मुजरा की गई अग्रणीत कुल हानि						
xvii	चालू वर्ष की मुजरे के पश्चात् शे-1 बची हानि योग	(5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi +5xii +5xiii+ 5xiv + 5xv)					

अनुसूची-सी.एफ.एल भावी के वर्षों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से हानि			सट्टे के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	धारा 115ख जीवन बीमा व्यवसाय से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि रैस	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
				कारोबार हानि अग्रणीत	धारा 115 खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	वर्ष के दौरान उपलब्ध करोबार हानि के लिए मुजरा अग्रणीत						
1	2	3	4	5क	5ख	5ग =5क-5ख	6	7	8	9	10	11
i	2010-11											
ii	2011-12											
iii	2012-13											
iv	2013-14											
v	2014-15											
vi	2015-16											
vii	2016-17											
viii	2017-18											
ix	2018-19											
x	2019-20											
xi	2020-21											
xii	2021-22											
xiii	2022-23											
xiv	पूर्ववर्त की हानियों का योग ख/च											
xv	अनुसूची बीएफएलए में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएलए का 2i)		(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)		(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)	(अनुसूची बीएफएलए का 2v)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)			(अनुसूची बीएफएलए का 2xiv)
xvi	2023-24 चालू वर्ष की हानिय		(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii)		(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)		(अनुसूची बीएफ का ख42, यदि -vड)	(अनुसूची बीएफ का ग48, यदि -vड)	अनुसूची बीपी का ड(iv) (यदि नकारात्मक हो)	(2x+3x+4x+5x)	(6x+7x+8x)	(अनुसूची ओएस का 8ड यदि -vड)
xvii	यूनिट धारकों के मध्य चालू वर्ष हानि वितरित (निवेश निधि के लिए लागू)											

Xviii	चालू वर्ष की हानियां अग्रणीत (xvi-xvii)								
xix	भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि (xiv-xv+xviii)								

अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और मोक

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन मोक			
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	धारा 115खकघ के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रणीत शे-रकम	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के लिए मोक की रकम की मुजराई	अग्रिम वर्ष के लिए अग्रणीत शे-
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xv)			(बीएफएलए का 4xv)	

क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ग झ के सतंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ग झ के सतंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क.	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची-10कक धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष-अ आर्थिक क्षेत्र में अर्वास्थित यूनिटों की बाबत कटौती			
	क्रम सं.	बचनबंध	निर्धारण वर्ष जिसमें इकाईयों ने विनिर्माण/उत्पादन /सेवा प्रदान करना आरंभ किया है	क्रम सं. रकम
क	बचनबंध सं0 1		क	(प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के बचनबंध 1 के लिए
ख	बचनबंध सं0 2		ख	(प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के बचनबंध 2 के लिए

ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क+ख)	ड
---	--------------------------------------	---

अनुसूची 80छ

धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
		i					
		ii					
		iii कुल					
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
		i					
		ii					
		iii कुल					
	ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
		i					
	ii						
	iii कुल						
घ	अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	ए.आर.एन (संदान संदर्भ संख्या)	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
	i						
	ii						
	iii कुल						
	ड कुल दान (कांiii + खांiii + गांiii + घांiii)						

अनुसूची 80छछक

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानों के ब्यौरे

क्रम सं..	सुसंगत खण्ड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है। (झपडाउन दिया जाए)	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैना	दान की रकम			दान को पात्र रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i							
ii							
	कुल दान						

अनुसूची आर. ए अनुसंधान संगमों को दानों के ब्यौरे (धारा35(1)(ii) या धारा 35(1)(iik) या 35(1)(iii) or 35(2कक) के अधीन कटौतियां

दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैन	दान की रकम			दान की पात्र रकम
		नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i					
ii					
iii कुल					

अनुसूची-80-झ.क धारा 80- झ.क के अधीन कटौतियां

क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
				क2
ख	धारा 80-झक(4) (iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ख2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ग	धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क1 + क2 + ख1 + ख2)			

अनुसूची-80-झ.ख धारा 80-झ.ख के अधीन कटौतियां

क	जम्मू-कश्मीर या लद्दाख में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती [धारा80झख(4)]	क1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
				क2
ख	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है [धारा80झख(9)]	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
		ख2	बचनबंध सं02	(बचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
ग	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(10)]	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
		ग2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
घ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(11क)]	घ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
		घ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
ङ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(11क)]	ङ 1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
		ङ 2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)
च	धारा 80झख के अधीन कुल कटौती (क1 से ङ 2 का योग)			

अनुसूची-80-झग या 80-झङ धारा 80-झग या धारा 80झङ के अधीन कटौतियां

क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	क1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
				क2
ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ख2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
घ	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ग1	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
घक	असम	घक1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		घक2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		घख2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
घग	मणिपुर	घग1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		घग2	बचनबंध सं02	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
घघ	मिजोरम	घघ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		घघ2	बचनबंध सं02	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
घङ	मेघालय	घङ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		घङ2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
घच	नागालैंड	घच1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		घच2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
घछ	त्रिपुरा	घछ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		घछ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ 2 का योग)	घज		
ङ	धारा 80झग या धारा 80झङ के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)	ङ		

धारा 80-झग के अधीन कटौती

अनुसूची 80त धारा 80त के अधीन कटौतियां		कारोबार कोड की प्रकृति	आय	कटौती के लिए पात्र रकम
1	धारा 80त(2)(क)(i) इसके सदस्यों को बैंकिंग/क्रेडिट सुविधा			
2	धारा 80त(2)(क)(ii) कुटीर उद्योग			
3	धारा 80त(2)(क)(iii) इसके सदस्यों द्वारा उगाई गई कृषि उपज का विपणन			
4	धारा 80त(2)(क)(iv) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए कृषि के लिए आशयित कृषि उपकरण, बीजों, पशु धन, या अन्य वस्तुओं का क्रय			
5	धारा 80त(2)(क)(v) इसके सदस्यों की कृषि उपज की विद्युत की सहायता के बिना			
6	धारा 80त(2)(क)(vi) इसके सदस्यों के या श्रम का सामूहिक निपटान			
7	धारा 80त(2)(क)(vii) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए मछली पकड़नाय या संबंध क्रियाकलाप			
8	धारा 80त(2)(ख) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी/सरकारी कंपनी/ निगम को दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगे संघीय सहकारी सोसाइटी को इसके सदस्यों द्वारा उत्पन्नया उगाए गए दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगी प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां ।			
9	धारा 80त(2)(ग)(i) धारा 80त(2क) या धारा 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी			
10	धारा 80त(2)(ग)(ii) धारा 80त(2क) या 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न क्रियाकलापों में लगी अन्य सहकारी सोसाइटियां			
11	धारा 80त(2)(घ) अन्य सहकारी सोसाइटीयों में निवेश से ब्याज/लाभांश			
12	धारा 80त(2)(ङ) वाणिज्याक के विपणन को सुकर बनाने के लिए भण्डारण/प्रसंस्करण हेतु गोदामों/भाण्डागारों को किराए पर देने से आय			
13	धारा 80त(2)(च) अन्य			
14	योग			

अनुसूची -6क अध्याय 6क के अधीन कटौतियां						
कुल कटौतियां	1	भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	क	80छ	ख	80छछख		
	ग	80छछग				
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग)				1	
	2	भाग ग- कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	घ	80-झक (अनुसूची 80- टक का च)	ड	80-झकख		
	च	80-झकग	छ	80-झख (अनुसूची 80- झख का ड)		
	ज	80-झखक	झ	80झग/80झड (अनुसूची 80 झग/80झड का ज)		
	ञ	80ञक	ट	80ञकक (प्रपत्र 10 घक में अनुलग्नक में क्रम सं. 5I(Aiv) +5II)		
	ठ	80टक(1) प्ररूप 10गगच का उपाबंध 9	ड	80टक(1क) (प्रपत्र 10गगच के अनबंध का9)		
	ण	80त				
	भाग ग के अधीन कुल कटौती (घ से ण तक का योग)				2	
	3	अध्याय 6क के अधीन कुल कटौती (1 + 2)			3	

अनुसूची- ए.एम.टी धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना					
कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 13 के अनुसार कुल आय		1	
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन			
		80 झकख	ड		
	क	शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क		
	ख	धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती	2ख		
	ग	आस्तियों जिस पर ऐसी कटौती का दावा किया जाता है पर अवकाय राशि द्वारा यथा घटाया गया धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा	2ग		
	घ	कुल समायोजन (2क + 2ख)	2घ		
3	धारा 115जग (1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2ग)			3	
क	धारा 115जग के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो			3क	

ख	धारा 115जग के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय	3ख
4	धारा 115जग (1) के अधीन संदेय कर, यथास्थिति [(3 ख) का 18.5 % या 15% (3 क) का 9 % जैसा अनुप्रयोज्य हो] (ए.ओ.पी, बी.ओ.पी, ए.जे.पी के मामले में यह लागू है यदि 3, बीस लाख से अधिक है)	4

अनुसूची ए.एम.टी.सी

धारा 115जघ के अधीन जमा कर की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2023-24 में धारा 115 जग के अधीन कर (भाग-ख-टी.टी.आई का 1घ)	1		
2	निर्धारण वर्ष 2023-24 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर(भाग-ख-टी.टी.आई का 4)	2		
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध जमा राशि उपलब्ध है [(2-1 प्रविट करें) यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविट करें]	3		
4	उपलब्ध एएमटी जमा राशि का उपयोग (चालू वर्ष के दौरान उपयोगित एएमटी जमा राशि उपरोक्त तीन में वर्णित अधिकतम रकम के अधीन होगी और वह अग्रणीत एएमटी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती)			
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	एएमटी प्रत्यय (ख)	चालू वर्ष के दौरान उपयोग की गई एएमटी (ग)	अग्रणीत अतिशेष एएमटी जमा (घ) = (ख3) - (ग)
		सकल (ख1)	पूर्व वर्षों में मुजरा की गई (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3) = (ख1) - (ख2)
i	2011-12			
ii	2012-13			
iii	2013-14			
iv	2014-15			
v	2015-16			
vi	2016-17			
vii	2017-18			
viii	2018-19			
ix	2019-20			
x	2020-21			
xi	2021-22			
xii	2022-23			
xiii	चालू निर्धारण वर्ष (1-2 प्रविट करें, यदि 1 > 2 या शून्य प्रविट करें)			
xiv	योग			
5	धारा 115जघ के अधीन जमा कर की रकम [(मद सं. 4ग के अनुसार]	5		
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष में जमा राशि के लिए उपलब्ध एएमटी दायित्व की रकम [मद सं. 4घ प्रविट करें]	6		

अनुसूची एसआई

विशेष दर से प्रभाय आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)

क्र.सं.	धारा / विवरण	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1	111क या धारा 115कघ(1)(ii)- परंतुक(शेयर/इन्विटी उन्मुख एमएफ पर एसटीसीजी जिनपर एसटीटी का भुगतान किया जाता है)	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5vi)	
2	115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहां एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5vii)	
3	112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)	
4	112(1)(c)(ii) (गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)	
5	115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाईयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)	
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)	
7	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi)	
9	112क या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक(शेयरों अथवा इकाइयों की बिक्री पर एलटीसीजी जिनपर एसटीटी का भुगतान किया जाता है)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x)	
10	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एसटीसीजी प्रभाय है			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5ix)	
11	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभाय है			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5xii)	
12	115ख (जीवनबीमा कारबारक के लाभ और अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	12.50	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5iii)	
12क	115कग (विदेशी करसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची आ.एस का भाग 2ग ix)	
12ख	115कग के तहत प्रभाय अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग xxiii)	
13	115 खख (लॉटरी, वर्ग पहेंली, दौड़, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओ.एस का 2क)	
14	115 खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)	

15	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.पी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का 2खxvi)	
16	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.पी का 7ड)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का 2गxvi)	
17	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)				
	क कारबार या वृत्ति से आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.पी का 3च)	
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)	
18	115क(1)(ख) (क) और 115क(1)(ख)(ख) (रॉयल्टी से एक गैर-निवासी की होने वाली आय)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2गviii)	
19	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर अन्य स्रोतों से आय प्रभार्य है	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस के 2डका भाग)	
20	15% @ की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची ओ.एस के 5vi का भाग)	
21	30% @ की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओ.एस के 5vii का भाग)	
22	10% @ की दर पर प्रभार्य दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस के 5x का भाग)	
23	धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एफ.ए का भाग 5x)	
24	20% @ की दर पर प्रभार्य दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची ओ.एस के 5xi का भाग)	
25	विशेष दये पर प्रभार्य अन्य स्रोत से आय की प्रकृति की गुजरी हुई आय	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2घ)	
26	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्य होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस के 2ग का भाग)	
				योग	

अनुसूची आई एफ भागीदारी फर्मों के बारे में जानकारी जिसमें आप भागीदार है

क्र.सं	फर्म का नाम	फर्म का पैन	क्या फर्म संपरीक्षक के लिए दायी है (हां/नहीं)	क्या फर्म को धारा 92ड लागू होती है (हां/नहीं)	फर्म के लाभ में प्रतिशत हिस्सा	लाभ में हिस्से की रकम	फर्म में 31 मार्च को पूंजी बकाया
						i	ii
1							
2							
3							
4	योग						

अनुसूची-छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से प्रभार्य न की जाने वाली आय)

क्र.सं	व्यय	1	2
1	व्याज से आय		
2	i शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	i	
	ii कृषि पर उपगत व्यय	ii	
	iii पूर्व आठ कर-निरधारण वर्षों विनिर्दिष्ट कृषि हानि	iii	
	iv नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 (अनुसूची बी.पी की क्र.सं. 38) से संबंधित कृषि आय अंश		2
	v वर्ष (i-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)		
	vi वर्ष के लिए कुल कृषि आय 5 लाख से अधिक होने के मामले में निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)		
	क पिनकोड के साथ उस जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है।		
ख एकड़ में कृषि भूमिक का मापन			
ग क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)			
घ क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)			
3	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	3	
4	क धारा 10(23चख) अथवा 10(23चखक) या 10(23चग) या 10(23चगक) या 10(23चड़) या 10(23चच) या 10(4घ) के तहत आय (कृपया प्रपत्र दाखिल करने की तिथि तथा पावती संख्या का विवरण प्रदान करें (यदि 10(23चच तथा 10(4घ) के तहत दावा किया गया है। के तहत आय प्रत्येक अनुभाग के लिए अलग से ड्रापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।	3क	
	ख कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति दर्ज करने के लिए टेक्स्ट के साथ पंक्ति विकल्प जोड़ें	3ख	
4	डीटीए के अनुसार कर से प्रभार्य नहीं आय		

क्र.सं०	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए का अनुच्छेद	आय की शीर्ष	क्या टीआटी प्रदान की गई (हां/नहीं)	
I							
II							
III	कर से प्रभार्य नहीं डीटीए से कुल आय						4
5	कर से प्रभार्य नहीं गुजरी हुई आय (अनुसूची पीटीआई)						5
6	योग (1+2+3+4+5)						6

अनुसूची पीटीआई

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

क्रम	धारा 115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर स्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				i	गृह संपत्ति				
				ii	पूजी अभिलाभ				
				क	अल्पकालिक अवधि				
				का	धारा 111क				
				काii	अन्य				
				ख	दीर्घकालिक अवधि				
				खा	धारा 112क				
				खाii	धारा 112क के अलावा अन्य				
				iii	अन्य स्रोत				
				क	लाभांश				
				ख	अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
				ख	धाराके अधीन				
				ग	धारा.....के अधीन				
2.				i	गृह संपत्ति				
				ii	पूजी अभिलाभ				
				क	अल्पकालिक अवधि				
				का	धारा 111क				
				काii	अन्य				
				ख	दीर्घकालिक अवधि				
				खा	धारा 112क				
				खाii	धारा 112क के अलावा अन्य				
				iii	अन्य स्रोत				
				क	लाभांश				
				ख	अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				

					क	धारा 10(23चखख) के अधीन			
					ख	धाराके अधीन			
					ग	धारा.....के अधीन			

टिप्पण ▶ इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची टी.पी.एस.ए		ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार, धारा 92 खड (2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण						
धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है (कृपया समस्त नि. वर्षों के संबंध में किए गए समायोजन का कुल योग इंगित करें)						
	2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा					
		ख	"क" पर 12% की दर से अधिभार					
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर					
		घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)					
	3	भुगतान किए गए कर						
	4	निवल देय कर (2घ-3)						
	5	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख 1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)
	6	बैंक और शाखा का नाम						
	7	बीएसआर कोड						
8	चालान की क्रम संख्या							
9	जमा की गई राशि							

अनुसूची- एफएसआई

भारत से बाहर आय और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

क्र. सं.	देश कोड	कर सदायकर्ता पहचान संख्या	क्र. सं.	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय (भाग ख तज्ञ में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदत्त कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड) = (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	यदि राहत धारा 90 या 90क के अधीन दावा की गई है तो डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)
				1			i	गृह संपत्ति	
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूँजी अम्लाम					
			iv	अन्य स्रोत					
				योग					
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूँजी अम्लाम					
			iv	अन्य स्रोत					
				योग					

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें

अनुसूची-टीआर

भारत से बाहर संदत्त किए गए करों पर दावा की गई कर राहत के सारांश का ब्यौरा (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

क्र. सं.	भारत से बाहर संदत्त कर के विवरण				
	देश कोड	कर सदायकर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (अनुसूची च घ झ की (ग) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (अनुसूची च घ झ की (ड) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
1	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

योग			
2	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीए लागू है (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)	2	
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीए लागू नहीं है (धारा 91) (1(घ) के योग का भाग)	3	
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है जिसपर भारत में कर राहत अनुज्ञात थी जिसका बर्न के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी ने प्रतिदाय/प्रत्यय किया है ? यदि हां तो उसके ब्यौरे दें	4	हां/नहीं
क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम	ख	निर्धारण बर्न जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है
टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिदेश करें			

अनुसूची वि.आ.

भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

अ1	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ2	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ3	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
ख	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											

क्र. सं.	देश का नाम और कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ङ	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं ।											
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	ज़िप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो ।											
क्र. सं0	देश का नाम	ज़िप कोड	न्यास	न्यासियों	अवस्थापक	हिताधिकारियों	जब से पद संभाला है	क्या आपके पास	यदि (8) हां में है,	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		

	और कोड	का नाम और पता	के नाम और पते	का नाम और पता	के नाम और पते	उसकी तारीख	प्रोदभूत आय का कराधेय है	तो न्यास से प्राप्त आय	राशि	जहां अनुसूचा पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है												
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(i)												
(ii)												

टिप्पण

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आसति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आजापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आसति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची जीएसटी

जीएसटी के लिए रिपोर्ट की गई अवधि/कुल प्राप्ति के संबंध में जानकारी

क्र. सं०	जीएसटीआईएन सं०	फाइल जीएसटीव विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों का वार्षिक मूल्य
(1)	(2)	(3)

टिप्पण

कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक् जानकारी दें।

भाग - ख**भाग ख-कुल आय****कुल आय की संगणना**

कुल आय	1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह संपत्ति का 4) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविट करे)	1	
	2	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ		
	i	सट्टेबाजी और विनिर्दि-ट कारबार के कारबार और विनिर्दि-ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-बीपी का ए37) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविट करे)	2i	
	ii	सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका 3(iii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)	2ii	
	iii	सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका 3(iii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)	2iii	
	iv	विशेष दर पर कर के लिए आय प्रभार्य (अनुसूची बीपी का 3घ, 3ङ और 3च)	2iv	
	vi	योग (2i+2ii+2iii+2iv) (शून्य प्रविट करे यदि हानि है और इस अंक को अनुसूची सीवाईएलए की हानि की प्रविट में ले जाएं)	2v	
	3	पूंजी अभिलाभ		
	क	अल्प कालिक		
	i	15% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद 3 का 9ii)	का	
ii	30% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद 3 का 9iii)	काii		
iii	लागू दर पर प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद 3 का 9iv)	काiii		
iv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर लघु कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद 3 का 9v)	काiv		

	v	कुल अल्प कालिक (का + काii + काiii + काiv) (यदि हानि हो तो कुछ नहीं प्रविष्टि करें)	3कv	
ख		दीर्घ कालिक		
	i	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)	खा	
	ii	20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9vii)	ख ii	
	iii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 9viii)	ख iii	
	iv	कुल दीर्घ कालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो तो शून्य करें)	3ख iv	
ग		अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3ख iv) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)		3ग
घ		धारा 115खखज के तहत 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)		3घ
ङ		कुल पूंजीगत अभिलाभ (3ग + 3घ)		3ङ
4		अन्य स्रोतों से आय		
	क	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची ओएस 6) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्टि करें)	4 क	
	ख	विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची ओएस का 2 करें)	4 ख	
	ग	घुडदौड़ के स्वामित्व और अनुसक्षण क्रियाकलाप से आय (अनुसूची ओएस का 8ड) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्टि करें)	4 ग	
	घ	योग (4 क + 4 ख + 4 ग)		4 घ
5		मदवार आय का योग (1 + 2व + 3 ग + 3ङ + 4 घ)		5
6		5 के सामने मुजरा किए जाने वाली चालू बर्न की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)		6
7		चालू वर्ष की हानियों के शुरू होने के बाद शेष (5 - 6) (अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (ii), (iii), (v) से (xv)का योग + 4ख + 2iv)		7
8		7के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई (अनुसूची बीएफएलए के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)		8
9		सकल कुल आय (7 - 8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (i), (ii), (iv)से (xiv)का योग + 4ख + 2iv)		9
10		9 में सम्मिलित धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय		10
11		अध्याय 6क के अधीन कटौतियां		
	क	अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची 6क का (1) और (9-10) तक सीमित]		11क
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का (2)]		11ख
	ग	कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित]		11ग
12		धारा 10कक के अधीन कटौती (अनुसूची 10कक का कुल)		12
13		कुल आय (9- 11ग - 12)		13
14		विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची एसआई के i का योग)		14
15		रेंट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृति आय/कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 3)		15
16		कुल आय (13 - 14 + 15) [यदि (13-14) प्रभार्य कर की प्रभार्य न की गई रकम से अधिक है तो लागू होगा]		16
17		अग्रनीत की जाने वाली चालू बर्न की हानियां (अनुसूची सीएफएल के xvi का योग)		17
18		धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय (अनुसूची ए.एम.टी का 3)		18

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	क	धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एएमटी का 4)		1क	
	ख	पूर्वोक्त (क) पर अधिभार (यदि लागू है)		1ख	
	ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 1क+1ख पर		1ग	
	घ	मानी गई आय (1 क+1 ख+1 ग) पर कुल संदेय कर		1घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर			
	क	भाग ख-टीआई के 16 के सामान्य दरों पर कर	2क		
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का ii का कुल योग)	2ख		
	ग	कृति आय पर छूट /भाग ख-नज का 13-14 कर से प्रभार्य अधिकतम रकम से ज्यादा नहीं होगा, तभी लागू होगा	2ग		
	घ	कुल आय पर संदेय कर (2क+2ख-2ग)		2घ	
	ङ	उपकर	उपांतिक राहत से पूर्व परिकलित अधिभार	उपांतिक के बाद अधिभार	2ङ
	i	अनुसूची एस.आई के 12(ii) का 25%	2ङ i	iक	
	ii	10% या 15% पर लागू (निर्देश संदर्भ)	2ङ ii	iiक	

	iii	(2घ) पर 12ड(ii) में संदर्भित आय पर कर - अनुसूची एस.आई का 12(ii)	2ड iii					
	iii	कुल (i + ii + iii)				2ड iii		
	च	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 2घ+2डiii				2च		
	छ	कुल आय पर संदेय कर (2घ + 2ड iv + 2च)				2छ		
3		सकल संदेय कर (2छ या 1घ से उच्चतर)				3		
4		पूर्व वर्षों में संदत्त कर का धारा 115जग के अधीन जमा (यदि 2छ 1ग से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5)				4		
5		धारा 115 जग के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर (3 - 4)				5		
6		कर राहत						
	क	धारा 90/90क (अनुसूची नद का 2)	6क					
	ख	धारा 91 (अनुसूची नद का 3)	6ख					
	ग	योग (6क + 6ख)				6ग		
7		शुद्ध कर दायित्व (5-6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य दर्ज करें)				7		
8		ब्याज और देय फीस						
	क	विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क					
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख					
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग					
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में त्रुटि के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ					
	ड	कुल ब्याज और देय फीस (8क+ 8ख+ 8ग +8घ)				8 ड		
9		कुल दायित्व (7 + 8 ड)				9		
10		संदत्त कर						
	क	अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	10क					
	ख	स्रोत पर काटा गया कर (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख					
	ग	टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग					
	घ	स्वतः निर्धारण कर (15घ के स्तंभ 5 से)	10घ					
	ड	कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग+10घ)				10ड		
11		संदेय रकम (यदि 9, 10 ड से अधिक है तो प्रविट करें, अन्यथा 0 प्रविट करें)				11		
12		प्रतिदाय (यदि 10ड, 9 से अधिक है) प्रतिदाय यदि कोई हो तो, का सीधे बैंक खाते में प्रत्यय किया जाएगा				12		
संदत्त कर और बैंक के ब्यौरे	13	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना बैंक खाते के रिफंड का दावा करने वाले गैर-निवासी नहीं का चयन कर सकते हैं) हां या नहीं का						
		क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)						
		क्रम सं.	बैंक खाता भारत में धारण किए जाने की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं एक खाता पर निशान लगाएं।		
		i						
	ii							
बैंक खाता	नोट:							
	1) रिफंड क्रेडिट के लिए सभी बैंक खातों के संबंध में बताया जाना चाहिए, निष्क्रिय खातों को छोड़कर.							
	2) रिफंड क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं							
	ख) गैर-निवासी, जो भारत में आयकर रिफंड और बैंक खाता नहीं होने का दावा कर रहे हैं, अपने विकल्प के तौर पर, एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं:							
	क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आई.बी.ए.एन			
	आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं							
14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय i) (भारत के बाहर स्थित कोई आसतियां) जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित भी है (को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। ii) (भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या iii) (भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है?) निवासी के मामले में ही लागू (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें (<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/>	
						<input type="checkbox"/> नहीं		

15	अनुसूची-आयकर				
क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)

